



भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा

आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/संपदा/13/25-26/ईटी/377

भाग - I
(तकनीकी एवं वाणिज्यिक)

नाम का निविदाकर्ता: _____

पता: _____

महत्वपूर्ण सूचना

a. ई-निविदा सं.	आरबीआई/तिरुवनंतपुरम/संपदा/13/25-26/ईटी/377
b. कार्य का नाम	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना
c. अनुमानित लागत	₹15 लाख (जीएसटी सहित)
d. निविदा का तरीका	(ऑनलाइन भाग। - तकनीकी- वाणिज्यिक बोली और भाग II - मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprocn के माध्यम से) ई-निविदा के लिए दिशानिर्देश अनुलग्नक-। के रूप में दिए गए हैं।
e. पार्टियों के लिए डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध एनआईटी की तिथि	7 अगस्त 2025 को अपराह्न 6:00 बजे
f. बयाना राशि जमा	₹30,000/-
g. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	15 सितंबर 2025 को मध्याह्न 1:00 बजे
h. बोली-पूर्व बैठक	29 अगस्त 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे संपदा विभाग, द्वितीय तल, भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम।
i. ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि www.mstcecommerce.com/eprocn	2 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 5:00 बजे
j. टेक्नो-कमरिशयल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा बंद होने की तिथि।	15 सितंबर 2025 को मध्याह्न 2:00 बजे
k. निविदा खोलने की तिथि एवं समय	निविदा का भाग। (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) 15 सितंबर, 2025 को मध्याह्न 3:00 बजे खोला जाएगा। भाग II (मूल्य बोली) को बाद की तारीख पर खोला जाएगा, जिसकी सूचना पात्र बोलीदाताओं को दी जाएगी।
l. लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी पोर्टल में उल्लिखित लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी भुगतान गेटवे / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के पक्ष में किया जाएगा।

अनुबंध – I

ई-निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण अनुदेश

यह आरबीआई का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/ठेकेदार एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना तथा उसके बाद जारी किए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) को पढ़ लें और समझ लें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

क) पंजीकरण : इस प्रक्रिया में विक्रेता को एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कराना होगा । पंजीकरण के बाद ही विक्रेता अपनी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे । तकनीकी - व्यावसायिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया अपनाई जाएगी । विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए । विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े किसी पी.सी.से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । आरबीआई ऐसी व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है । (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के बोलियाँ दर्ज नहीं की जाएँगी) ।

विशेष नोट: मूल्य बोली और वाणिज्यिक बोली

केवल www.mstcecommerce.com/eprocn/ पर ऑनलाइन प्रस्तुत (संस्करण 3)

1) विक्रेताओं को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कराना आवश्यक है

www.mstcecommerce.com/eprocn

विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें - विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएँ । अधिक जानकारी के लिए, डाउनलोड गाइड / वीडियो / पंजीकरण पर जाएँ ।

उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा ।

पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किया गया ईमेल । किसी भी स्थिति में

स्पष्टीकरण हेतु कृपया एमएसटीसी/आरबीआई से संपर्क करें (ई - निविदा के निर्धारित समय से पहले) ।

सम्पर्क करने का विवरण:

a) विक्रेताओं के लिए संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी):

HO सेंट्रल हेल्प डेस्क: (विक्रेताओं के लिए)

फ़ोन नंबर :07969066600

helpdeskho@mstcindia.in (ईमेल भेजते समय कृपया विषय के रूप में "HO Helpdesk" लिखें)


उपलब्धता: सभी तकनीकी मुद्दों, ई-टेंडर, सिस्टम सेटिंग्स आदि के लिए सभी कार्य दिवसों में सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक ।

b) आरबीआई (आरबीआई तिरुवनंतपुरम) में संपर्क व्यक्ति

1. के सुरेश कुमार (एएम-टेक) - 9488166782 (sureshkumark@rbi.org.in)
2. के षाजी कृष्णन (एजीएम) - 8547357810 (kshajikrishnan@rbi.org.in)
3. राजीव एस जे (जेर्इ-इलेक) - 8891370780 (rajeevsj@rbi.org.in)
4. रोनी जोसेफ (एएम) - 7560929057 (jronnie@rbi.org.in)
5. श्रीकांत एस (सहायक) - 0471-2783045 (ssreekanth@rbi.org.in)

1. सिस्टम अनिवार्यता :

विवरण के लिए, विक्रेता <https://www.mstcecommerce.com/eprocn/> पर उपलब्ध डाउनलोड सिस्टम सेटिंग गाइड का संदर्भ ले सकता है।



2 लेनदेन शुल्क के प्रति विशेष नोट : विक्रेताओं को अपने लॉगिन के माध्यम से "बिड फ्लोर" में विशिष्ट निविदा के खिलाफ / "ईवेंट कैटलॉग" में "लेनदेन शुल्क का भुगतान करें" के माध्यम से "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता को एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता चालान में बिना कोई बदलाव किए उस पर छपे विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, सेवा प्रदाता / ठेकेदार / विक्रेता के पास अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं मिलेगी।

नोट : बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें, ताकि उन्हें बोली प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

3. निविदाओं/शुद्धिपत्रों की जानकारी निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदा के अंतिम रूप देने तक, केवल ईमेल द्वारा ही भेजी जाएगी। इसलिए, विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी लिमिटेड में पंजीकरण के समय प्रदान

की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी मान्य और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने क्लास ॥ हस्ताक्षर और एक्रिप्शन प्रकार के डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर) की वैधता सुनिश्चित करें। प्रमाणपत्र।

4. एनआईटी (आमंत्रण सूचना) में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकेगी। नाजुक।

5. बोली लगाना ई-निविदा :

नोट: विक्रेताओं को दस्तावेज़ लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "मेरा" मेनू में "दस्तावेज़ अपलोड करें" लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड के लिए एक दस्तावेज़ का अधिकतम आकार 5 एमबी है।

लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद, विक्रेता संबंधित ई - टेंडर के साथ "दस्तावेज़ संलग्न करें" लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि दस्तावेज़ किसी ई - टेंडर के साथ संलग्न नहीं हैं, तो उन्हें RBI द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। और यह माना जाएगा कि विक्रेता ने दस्तावेज़ जमा नहीं किए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया विक्रेता मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

- बोलीदाताओं को ई -टेंडर के लिए आवश्यक ईएमडी, ई-टेंडर शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग-अलग जमा करना होगा। यदि कोई लेनदेन शुल्क है, तो वह वापस नहीं किया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी आरबीआई द्वारा वापस कर दी जाएगी।
- इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बोली के साथ-साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

जिन बोलीदाताओं ने उपरोक्त शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं। → ई - खरीद → नया कॉमन पोर्टल → बोली फ्लोर प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन → लेनदेन शुल्क->सामान्य शर्तें->दस्तावेज़ संलग्न करें->मूल्य बोली।

कृपया ध्यान दें: लेनदेन शुल्क और अग्रिम राशि (ईएमडी) का विवरण सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विक्रेता के लॉगिन में दस्तावेज़ संलग्न करें और सामान्य शर्तें टैब सक्षम हो जाएगा। इस चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, विक्रेता लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेज सकेंगे और पोर्टल के माध्यम से लॉट के लिए अपनी मूल्य बोली जमा कर सकेंगे या मूल्य बोली जमा करने के लिए एक्सेल फ़ाइल डाउनलोड और अपलोड कर सकेंगे। यदि दस्तावेज़ संलग्न करने और/या सामान्य शर्तें सहेजने का चरण असफल रहता है, तो लॉट की विशिष्ट शर्तों को सहेजने और मूल्य बोली जमा करने के टैब अक्षम हो जाएँगे। यह सफल/लंबित है या नहीं, इसकी स्थिति बोली स्थिति बटन में प्रदर्शित होगी।

- सबसे पहले, विक्रेता को वाणिज्यिक विनिर्देश (यदि कोई हो) भरकर उसे सेव करना होगा। फिर विक्रेता को तकनीकी - वाणिज्यिक बोली भरनी होगी। तकनीकी - वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी - वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरकर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक

करना होगा । फिर, तकनीकी - वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।

नोट : - अंतिम सबमिशन पर क्लिक करने के बाद "बोली हटाएँ" विकल्प दिखाई देगा । यदि विक्रेता अंतिम सबमिशन के बाद बोली हटाकर उसे पुनः सबमिट करना चाहता है, तो उसे "बोली हटाएँ" पर क्लिक करके उसे पुनः सबमिट करना होगा और फिर से "अंतिम सबमिशन" पर क्लिक करना होगा ।

- d) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ-साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए ।
- e) संपूर्ण ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक-दूसरे के लिए तथा अन्य सभी के लिए पूर्णतः गुमनाम रहेंगे ।
- f) ई - निविदा मंच पूर्व घोषित तिथि और समय से लेकर ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा ।
- g) ई - निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी । किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वैध बोली माना जाएगा और क्रेता द्वारा उसे स्वीकार करने पर क्रेता और बोलीदाता के बीच आपूर्ति / कार्य के निष्पादन हेतु एक बाध्यकारी अनुबंध स्थापित हो जाएगा । ऐसे सफल निविदाकर्ता को आगे से आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार कहा जाएगा ।
- h) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां श्रेणी III हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- i) क्रेता को बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
- j) - निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं है । किसी भी बोलीदाता द्वारा ई - निविदा प्रक्रिया में बोली प्रस्तुत करना, ई - निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है ।
- k) माप की इकाई (यूओएम) ई - टेंडर फ्लोर में दर्शाई गई है । उद्धृत की जाने वाली दर ई - टेंडर फ्लोर / निविदा दस्तावेज़ में दर्शाई गई यूओएम के अनुसार भारतीय रूपये में होनी चाहिए ।

महत्वपूर्ण नोट

ऑनलाइन मूल्य बोली में, 1000 अक्षरों की शब्द सीमा के कारण, पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सका और दिया गया विवरण संक्षिप्त है। ऑनलाइन दरें उद्धृत करने से पहले, सभी ठेकेदारों को निविदा दस्तावेज़ के भाग-I में दिए गए बिना मूल्य वाले मात्रा बिल (BOQ) में प्रत्येक वस्तु का पूरा विवरण अवश्य पढ़ना चाहिए। निष्पादन और दर निर्धारण के उद्देश्य से, निविदा दस्तावेज़ के भाग-I में दिए गए बिना मूल्य वाले मात्रा बिल में दिए गए विवरणों को लागू किया जाएगा ।

निविदा का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग, तिरुवनंतपुरम

प्रिय महोदय,

ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित विनिर्देशों, रेखाचित्रों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद, तथा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल का दौरा करने और जांच करने के बाद, निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, हम एतद्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को समय ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर, संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, समझौते के अनुच्छेदों, विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों में निर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के साथ और हमारे द्वारा प्रदान की गई ऐसी सामग्रियों के साथ, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार, जहां तक वे लागू हो सकती हैं, आपूर्ति और निष्पादित करने की पेशकश करते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियन्त्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करना
(बी)	अनुमानित लागत	₹15 लाख
(सी)	बयाना राशि	₹30,000/-
(डी)	भुगतान का तरीका	वाणिज्यिक शर्तों की मद संख्या 19 के अनुसार।
(ई)	पूरा होने के लिए अनुमत समय	कार्य आदेश के 10 दिन से 45 दिन।
(एफ)	बिल के निपटान की अवधि	अंतिम बिल- 45 दिन

मैं/हम सहमत हैं:

यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम इसके साथ संलग्न अनुबंध की शर्तों के नियमों और प्रावधानों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या इसके उल्लंघन की स्थिति में, उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को जब्त कर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान करने के लिए सहमत हूं।

मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹30,000/- की बयाना राशि जमा कर दी है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देय है। यदि हम अनुबंध को निष्पादित करने के लिए कहे जाने पर भी ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हम एतद्वारा सहमत हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।

हमारे बैंकरों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक 1	बैंक का नाम 2	शाखा और उसका पूरा पता 3	संपर्क व्यक्ति का नाम 4	टेलीफोन और फैक्स नंबर 5

हमारी फर्म के साझेदारों के नाम हैं

(मैं) _____

(ii) _____

फर्म के साझेदारों का नाम _____

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत

या

मुख्तारनामा करने वाले व्यक्ति का नाम _____

संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए

(साझेदारी विलेख और मुख्तारनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)

भवदीय,

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

साक्षी

(1) _____

(हस्ताक्षर)

पता

(2) _____

(हस्ताक्षर)

पता

करार की शर्तें

यह करार, एक पक्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक, तिरुवनंतपुरम, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई 400001 में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) और दूसरे पक्ष ----- (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच ----- को किया गया है।

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के कार्य करने का इच्छुक है और विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले कार्यों का विवरण तथा बैंक के इंजीनियर के निर्देशन में किए जाने वाले कार्यों का विवरण।

और जबकि उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची पर पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जबकि ठेकेदार ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों तथा संविदा की मात्राओं और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों (जिनमें से सभी को संयुक्त रूप से इसके बाद "उक्त शर्तों" के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन रहते हुए, उक्त विनिर्देश में दर्शाए गए कार्यों और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दर पर निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जो उसमें निर्धारित राशि या उसके तहत देय होने वाली अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

अब इस प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है:

1. उक्त शर्तों में निर्धारित समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली उक्त अनुबंध राशि के प्रतिफल में, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त रेखाचित्रों में दर्शाए गए तथा उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूरा करेंगे।

2. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या ऐसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और तरीके से देय हो।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यों के पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने तथा संविदा की विभिन्न शर्तों निबंधनों और प्रावधानों के कार्यान्वयन का प्रशासन और प्रत्यक्ष व्यवस्था करेगा।

4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा, और इसके पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, स्वयं को उनके अधीन करेंगे और उक्त शर्तों में निहित करार को अपनी ओर से निष्पादित करेंगे।

5. यहां उल्लिखित योजनाएं, करार और दस्तावेज़ इस करार का आधार बनेंगे और ठेकेदार बिना किसी संशोधन, सुझाव के उक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है।

6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही टुकड़ा कार्य संविदा है, बल्कि यह संपूर्ण कार्य के लिए एक संविदा है जिसका भुगतान दरों की अनुसूची और संभवित मात्रा में निहित दरों पर या उक्त शर्तों में दिए गए अनुसार वास्तविक मात्रा के अनुसार किया जाएगा।

7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा प्रदान करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

8. नियोक्ता इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निष्पादित किए जाने वाले कार्यों में किसी भी मद को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ठेकेदार निविदा मात्रा से अधिक किए गए कार्यों के लिए किसी भी भुगतान का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित रूप में विशेष रूप से अनुमोदित न किया जाए।

9. समय को इस संविदा का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा और ठेकेदार हमारे सहायक प्रबंधक/प्रबंधक (तकनीकी)/सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी) के परामर्श से तुरंत कार्य प्रारंभ करने के लिए सहमत है। कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय 45 दिन है, जिसकी गणना कार्य आदेश जारी होने के दसवें दिन से की जाएगी। ऐसा न करने पर, कार्य के वास्तविक मूल्य के 0.25% प्रति सप्ताह की दर से परिसमाप्त क्षतिपूर्ति ली जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा संविदा मूल्य के 10% तक होगी।

10. इस संविदा के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा सभी भुगतान केवल तिरुवनंतपुरम में ही किए जाएंगे।

11. इस करार से उत्पन्न या किसी भी तरह से इससे जुड़े सभी विवाद तिरुवनंतपुरम में उत्पन्न माने जाएंगे और केवल तिरुवनंतपुरम के न्यायालयों को ही उनका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा।

12. ठेकेदार द्वारा इस संविदा के सभी भागों को पढ़ लिया गया है और पूरी तरह से समझ लिया गया है। ठेकेदार, निविदा की गई मात्रा से अधिक राशि के भुगतान का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के इंजीनियर द्वारा विशिष्ट लिखित निर्देश न दिए जाएँ।

13. ठेकेदार, बैंक के बुनियादी ढाँचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पास या उसकी जानकारी में आए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा और उसे हर समय पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा। ठेकेदार, अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि वह अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्यत्र कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा।

14. ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा। उपरोक्त का पालन न करने पर इसे ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा करने तथा कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

15. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

16. गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस संविदा की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

17. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन और पूर्ति करनी होगी। ठेकेदार को बैंक को एक दिन में काम पर लगाए जाने वाले श्रमिकों की अधिकतम संख्या प्रस्तुत करनी होगी। बाद में किसी भी वृद्धि की सूचना बैंक को अविलंब देनी होगी। यदि काम के लिए नियोजित श्रमिकों की संख्या बीस या उससे अधिक है, तो ठेकेदार की क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। ठेकेदार को अपने द्वारा नियोजित सभी श्रमिकों/कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

18. ठेकेदार/एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी। बैंक परिसर में अपने कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

19. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

20. यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हों तो ठेकेदार को किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होना होगा, उदाहरण के लिए, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध हो जाती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी मौद्रिक राहत।

21. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

22. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण एवं अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।

23. ठेकेदार भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा:

- i) कार्य के निष्पादन के दौरान/उसके कारण किसी तीसरे पक्ष को होने वाली जान या संपत्ति की हानि/क्षति से उत्पन्न कोई दावा।
- ii) कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को हुए नुकसान/क्षति से उत्पन्न कोई दावा।
- iii) लागू पीएफ/श्रम कानून, ईएसआई, विनियमों आदि के अनुपालन न करने के कारण कोई दावा।

24. ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने से पहले, अपने खर्च पर, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ आवश्यक बीमा कवर (अर्थात्, ठेकेदार सर्व जोखिम पॉलिसी, श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी, तृतीय पक्ष देयता आदि, जो भी लागू हो) लेना होगा।

25. विवाद/विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी में दिए गए करार खंडों पर सभी उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने ठेकेदारों को दिए गए उपरोक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक और ठेकेदार ने इन उपहारों और इनकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जो ऊपर पहले लिखे गए दिन और वर्ष के हैं।

यदि ठेकेदार साझेदारी या व्यक्तिगत है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप नियोजक ने अपने विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ठेकेदार ने इस पर अपनी सामान्य मुहर लगवा ली है तथा उक्त प्रति/इन प्रस्तुतियों और इनकी उक्त दो प्रतियों को अपनी ओर से ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष में निष्पादित करवा लिया है।

यदि ठेकेदार कोई कंपनी है।

हस्ताक्षर खंड

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित

श्री
(नाम एवं पदनाम)

..... | की उपस्थिति में

(1)

(साक्षी)

(2)...

(साक्षी)

हस्ताक्षरित	और	वितरित
.....	यदि भागीदार कोई साझेदारी फर्म या कोई व्यक्ति है तो सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
.....	द्वारा	
1)		यदि ठेकेदार अपनी सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है तो हस्ताक्षर खंड एसोसिएशन के लेखों में उनके सीलिंग खंड के साथ मेल खाना चाहिए।
पता	
.....		
2)		चाहे ठेकेदार कम्पनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ अटॉर्नी पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करता है।

<p>पता</p> <p>(साक्षी)</p> <p>की सामान्य मुहर पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यहां संलग्न किया गया को आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा</p> <p>की उपस्थिति में</p> <p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>निदेशकों ने इन प्रस्तुतियों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन्हें उनकी उपस्थिति में लिया गया है।</p> <p>ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित श्री और विधिवत गठित वकील।</p>	<p>चाहे ठेकेदार कम्पनी हो या व्यक्ति, वह पावर ऑफ अटॉर्नी पर अपने हाथ से हस्ताक्षर करता है।</p>
--	--

वाणिज्यिक शर्तें

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा के कार्य के लिए ओईएम / अधिकृत डीलरों / इंटीग्रेटर्स से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदा के भाग I और भाग II (कम्यूटरीकृत) दोनों के विधिवत भरे गए विवरणों वाली ई-निविदाएं **15 सितंबर 2025** को मध्याह्न 2:00 बजे से पहले आरबीआई पोर्टल के तहत एमएसटीसी वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए।

केवल वे ओईएम/ठेकेदार/सिस्टम इंटीग्रेटर/अधिकृत डीलर जिनके पास कार्यालय भवनों/व्यावसायिक परिसरों/औद्योगिक घरों के लिए 6000 सीएमएच वायु प्रवाह क्षमता की केंद्रीकृत धूल कलेक्टर प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग जैसे समान कार्य करने के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (1 अगस्त, 2020 के बाद कार्य आदेश और संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है) है और पिछले 5 वर्षों के दौरान व्यक्तिगत रूप से निम्नानुसार लागत वाले समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है:

- (a) तीन कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% से कम न हो
या
(ख) दो कार्य जिनकी लागत अनुमानित लागत के 50% से कम न हो
या
(ग) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% से कम न हो
और
(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का न्यूनतम 100% वार्षिक कारोबार हो
और
(ई) वारंटी और एएमसी के दौरान बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए तिरुवनंतपुरम / बैंगलोर / हैदराबाद / चेन्नई / केरल के किसी भी शहर में एक पूर्ण सेवा स्थापित है।

निविदाकर्ताओं को अपनी पात्रता पूरी करने के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज उपयुक्त फ़ाइल नामों के साथ अपलोड करने चाहिए।

- a) समान कार्य/कार्यों के संबंध में विस्तृत कार्य आदेश/आदेशों की प्रतियां, कार्य/कार्यों के दायरे और मूल्य को दर्शाते हुए, 31 जुलाई 2020 को या उससे पहले पूर्ण किए गए, पांच वर्षों से पहले के पूर्व अनुभव को स्थापित करने के लिए (फ़ाइल का नाम जैसे: WO1, WO2 आदि)
- b) अनुबंध 'ए' के प्रारूप के अनुसार सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची
- c) अर्हक कार्यों के लिए अनुबंध 'बी' के अनुसार निर्धारित प्रारूप में ग्राहकों से प्राप्त पूर्णता प्रमाण पत्र (1 अगस्त, 2020 को या उसके बाद किए गए कार्यों के लिए)
- d) ईएमडी के प्रेषण का प्रमाण
- e) अनुबंध 'सी' के अनुसार बैंकर प्रमाणपत्र

- f) पिछले 3 वर्षों के टर्नओवर और आयकर रिटर्न के लिए ऑडिट किया गया वित्तीय विवरण
- g) सेवा सेटअप का विवरण - अनुबंध 'डी' के प्रारूप में
- h) तकनीकी विचलन न करने का वचन - अनुबंध 'ई' के अनुसार
- i) निर्दिष्ट वस्तु के विवरण/कैटलॉग और निर्माताओं के नाम।
- j) बैंकरों का विवरण अनुबंध 'एफ' के अनुसार
- k) अनुबंध 'जी' के अनुसार मुख्तारनामा की प्रति
- l) प्रस्तावित प्रणाली का तकनीकी विवरण
- m) प्रस्तावित कार्य से संबंधित कोई अन्य जानकारी
- n) अनुबंध 'जे' के अनुसार विधिवत भरा और हस्ताक्षरित एनईएफटी अधिदेश फॉर्म
- o) विधिवत भरा और हस्ताक्षरित शिकायत वृद्धि मैट्रिक्स - अनुबंध 'के'
- p) निर्धारित प्रारूप में निविदाकर्ता का प्रोफाइल
- q) निगमन प्रमाणपत्र की प्रति
- r) जीएसटी पंजीकरण की प्रति

नोट (क्लाइंट प्रमाणपत्र के संबंध में):

- सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में प्रमाण-पत्र पर संबंधित कार्यकारी अभियंता या समकक्ष या उच्चतर पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा अन्य विभागों के संबंध में, उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के अलावा निष्पादित कार्य से संबंधित भुगतानों से मेल खाते टीडीएस प्रमाण-पत्र भी संलग्न किए जाएंगे।

केवल उपरोक्त योग्यता रखने वाले निविदाकर्ता ही कार्य हेतु निविदा देने के पात्र होंगे। यदि कोई फर्म उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

2. **बोली-पूर्व बैठक :** - निविदा के संबंध में किसी भी चर्चा/स्पष्टीकरण हेतु **29 अगस्त 2025** को प्रातः **11:00 बजे**, संपदा विभाग, रिझर्व बैंक मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को उपस्थित रहने की सलाह दी जाती है। स्पष्टीकरणों को भारतीय रिझर्व बैंक की वेबसाइट पर निविदा के शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, अवश्य देख लें। निविदा से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार केवल भारतीय रिझर्व बैंक की वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएँगे।

3. निविदाकर्ताओं को पिछले 5 वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण, उपकरण के उपयोगकर्ताओं के नाम और संपर्क नंबर सहित संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।
4. यदि कोई फर्म उपरोक्त विवरण प्रस्तुत नहीं करती है तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. निविदाएं दो भागों में प्रस्तुत की जाएंगी अर्थात् भाग I में पूर्व-योग्यता मानदंड, प्रस्ताव के तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण शामिल होंगे और भाग II (कंप्यूटरीकृत/ऑनलाइन भरा जाना है) जिसमें 15 सितंबर, 2025 को **मध्याह्न 2:00** बजे तक केवल मूल्य शामिल होंगे। भाग I 15 सितंबर, 2025 को अपराह्न **3:00** बजे खोला जाएगा। उन निविदाकारों के तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण, जो पूर्व-योग्यता मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किए जाएंगे। केवल उन विक्रेताओं की भाग II बोली, जो तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तों/विवरणों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, को खोलने के लिए विचार किया जाएगा। भाग II के खुलने की सूचना योग्य विक्रेताओं को दी जाएगी।
6. भारतीय रिझर्व बैंक बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी फर्म की निविदा को स्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
7. विक्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने से पहले वेबसाइट पर दिए गए शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) की जाँच कर लें। 2 सितंबर, 2025 को **अपराह्न 5:00** बजे के बाद किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. रुपये की बयाना राशि जमा (केवल तीस हजार रुपये) **15 सितंबर, 2025** को **मध्याह्न 1:00** बजे या उससे पहले भारतीय रिझर्व बैंक के बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। ईएमडी भेजते समय "ईएमडी - सीवीपीएस, आरबीआई तिरुवनंतपुरम के लिए धूल कलेक्टर प्रणाली का एसआईटीसी" टिप्पणी के रूप में दिया जाएगा। एनईएफटी लेनदेन के लिए खाता विवरण इस प्रकार है।

आईएफएससी कोड – RBISOTH-HPA01

खाता संख्या – 8614038

लाभार्थी का नाम: भारतीय रिझर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम

लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) सहित धन प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए।

बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया जाता है कि वे लेनदेन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ धन प्रेषण का प्रमाण estatethiro@rbi.org.in पर भेजें।

अनुबंध एच) के रूप में संपदा विभाग, भारतीय रिझर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम में भी जमा की जा सकती है। ऐसी निविदा, जिसके साथ ऐसी धरोहर राशि संलग्न न हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि (ईएमडी) कार्य सौंपे जाने के बाद बिना किसी ब्याज के उन्हें जारी कर दी जाएगी। सफल निविदाकर्ताओं की बयाना राशि कार्य के संतोषजनक समापन के बाद जारी की जाएगी।

9. निविदाएं निविदा के भाग-। के खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होंगी।

10.उद्धृत दरों में परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, बीमा आदि शामिल होंगे और यह साइट पर विधिवत स्थापित और चालू किए गए पूरे कार्य के लिए होंगे। उद्धृत मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेंगे और विदेशी मुद्रा या किसी अन्य कर, लेवी, शुल्क आदि के किसी भी बदलाव के अधीन नहीं होंगे। बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाएगा। निविदाकार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी भाग या घटकों के आयात के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। निविदाकार के पास जीएसटी पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। निविदाकारों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी सहित अपनी दरें उद्धृत करनी चाहिए। बैंक ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है। कर प्राधिकरण को जीएसटी का भुगतान करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

11.प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का संपूर्ण कार्य कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10वें दिन से 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

12.पूरा न होने पर क्षतिपूर्ति: यदि ठेकेदार निविदा में निर्दिष्ट पूर्णता अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ठेकेदार नियोक्ता को निष्पादित कार्य की लागत का 0.25% प्रति सप्ताह की दर से उस अवधि के लिए भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अपूर्ण रहेगा, जो वास्तविक मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन होगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धन से ऐसी क्षतिपूर्ति की कटौती कर सकता है।

13.निविदाकर्ताओं को तिरुवनंतपुरम/बैंगलुरू/हैदराबाद/चेन्नै/केरल के किसी भी शहर में सेवा केंद्र का विवरण, कर्मचारियों की संख्या, संपर्क संख्या, प्रणाली के लिए पुर्जों की उपलब्धता और वृद्धि मैट्रिक्स का उल्लेख करना होगा।

14.वारंटी/दोष दायित्व अवधि और वार्षिक व्यापक रखरखाव सेवा अनुबंध:

आपूर्ति किए गए उपकरणों की, पूर्ण होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सभी प्रकार के दोषों के विरुद्ध गारंटी होगी। गारंटी अवधि के दौरान सिस्टम/उप-संयोजनों में पाए जाने वाले किसी भी दोष को निविदाकर्ता द्वारा बैंक को कोई अतिरिक्त लागत दिए बिना ठीक/प्रतिस्थापित किया जाएगा। दर में निर्माता द्वारा निर्धारित मासिक अंतराल पर या उससे पहले इकाई की सर्विसिंग और उपर्युक्त अवधि के दौरान आपसी सहमति शामिल होनी चाहिए। केंद्रीकृत धूल संग्राहक प्रणाली का निवारक रखरखाव कार्य, जिसमें फिल्टर आदि की सफाई शामिल है, हर महीने किया जाएगा। सर्विस रिपोर्ट की बैंक के इंजीनियर द्वारा विधिवत स्वीकृति दी जाएगी।

15. व्यापक वार्षिक रखरखाव (सीएएमसी) अनुबंध: ठेकेदार/सिस्टम इंटीग्रेटर को यह वचन देना होगा कि वे पुर्जे और सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा न्यूनतम 9 वर्षों तक सिस्टम का संतोषजनक रखरखाव करेंगे। दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की समाप्ति की तारीख से । डीएलपी के एक वर्ष के बाद, व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) बैंक द्वारा स्वीकृत दर पर दर्ज किया जाएगा और निविदा के इस भाग में खंड 17 में दिए गए फार्मूले के आधार पर इसे सालाना नवीनीकृत किया जाएगा। व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के शुल्क में अनुबंध अवधि के दौरान सिस्टम के किसी भी हिस्से को बदलना शामिल होगा, जिसमें सभी आवश्यक स्पेयर, उपभोग्य वस्तुएं, आवश्यक कार्ड आदि शामिल हैं। सीएएमसी अवधि के दौरान पाए गए सिस्टम/उप-असेंबली में किसी भी दोष को बैंक को किसी अतिरिक्त लागत के बिना निविदाकर्ता द्वारा सुधारा/बदला जाएगा। दर में मासिक अंतराल पर या इससे पहले निर्माता द्वारा निर्धारित और इस अवधि के दौरान पारस्परिक रूप से सहमत इकाई की सर्विसिंग शामिल होनी चाहिए।

सीएएमसी के अंतर्गत कार्य का दायरा मोटे तौर पर निम्नलिखित को कवर करेगा :

- a) रखरखाव सेवाओं में केंद्रीकृत धूल नियंत्रक मशीन और उसके संबंधित उपकरणों का व्यापक रखरखाव शामिल होगा। आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों सहित किसी भी अतिरिक्त पुर्जे की लागत और श्रम शुल्क रखरखाव अनुबंध के दायरे में शामिल हैं।
- b) मासिक अंतराल पर किया जाएगा। सेवा रिपोर्ट की बैंक के इंजीनियर द्वारा विधिवत पावती दी जाएगी और उसे सीएएमसी बिलों के भुगतान हेतु बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- c) निवारक और खराबी संबंधी कॉल पर ध्यान देने के लिए, ठेकेदार उक्त कार्य के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को सीधे अपने द्वारा नियुक्त करेगा और कार्य का पर्यवेक्षण बैंक के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। कार्यालय समय के बाद या छुट्टियों के दिनों में खराबी संबंधी कॉल पर ध्यान देने के लिए, ठेकेदार को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के दो घंटे के भीतर दोषों को ठीक करने की व्यवस्था करनी होगी। तकनीशियनों को केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली के सुचारू संचालन की समय-समय पर जाँच करनी होगी।
- d) सभी आवश्यक उपकरण, मापने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्पेयर पार्ट्स आदि (आवश्यकतानुसार) ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के भीतर आपूर्ति किए जाएंगे।
- e) ठेकेदार को सभी उपकरण/मशीन को साफ, सुव्यवस्थित और प्रभावी कार्य स्थिति में रखना होगा।
- f) सर्विसिंग के समय, यदि उपकरण/मशीनों में कोई दोष या कमी पाई जाती है, तो इसे तुरंत ऊँटी पर मौजूद बैंक के अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा और सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

- g) व्यापक एएमसी शुल्क सर्वसमावेशी प्रकार का है और इसमें सर्विसिंग शुल्क और दोषपूर्ण भाग (भागों) के प्रतिस्थापन को शामिल किया जाता है, यदि वे दोषपूर्ण पाए जाते हैं।

उपकरणों/मशीनों की सर्विसिंग

नियमित सेवा के अतिरिक्त, ठेकेदार को आवश्यकतानुसार और टेलीफोन/लिखित/मेल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ब्रेकडाउन संबंधी कॉलों का तुरंत और अधिकतम 24 घंटों के भीतर समाधान करना होगा। यदि ठेकेदार शिकायत दर्ज करने की तिथि से 48 घंटों के भीतर ब्रेकडाउन सेवा का समाधान नहीं करता है और इकाई को पुनः चालू नहीं कर पाता है, तो **धारा 16** के अनुसार, प्रति मशीन विलंब के लिए प्रतिदिन **500** रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

16. निविदाकर्ता संपूर्ण प्रणाली के उपरोक्त व्यापक रखरखाव अनुबंध के लिए अपने शुल्क उद्धृत करेंगे, जो वारंटी अवधि/डीएलपी की समाप्ति के बाद लागू होंगे। अनुबंध राशि का भुगतान संतोषजनक सेवा प्रदान करने पर तिमाही आधार पर किया जाएगा। यह एक आपातकालीन प्रणाली है, इसलिए प्रणाली में किसी भी खराबी को नीचे दिए गए सुधार समय के अनुसार ठीक किया जाएगा, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

		सुधार समय	जुर्माना
(ए)	किसी भी दोष के परिणामस्वरूप प्रणाली की पूर्ण विफलता	48 घंटे	₹500/- प्रति दिन
(बो)	स्वतंत्र उपकरणों में कोई दोष, घटक, केबल जिनके कारण सिस्टम पूरी तरह से विफल नहीं हो सकता	48 घंटे	₹200/- प्रति दिन

17. व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) को एक वर्ष की वारंटी (डीएलपी) के बाद एक वर्ष की प्रारंभिक व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) अवधि के बाद कम से कम 8 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। संविदा का नवीनीकरण करते समय, नई संविदा राशि निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ए सी = ए जी[(15+60x(इपोआई सी/इपोआई जी)+25x(सोपोआई सी/सोपोआई जी)] x (1/100)
ए सी चालू वर्ष के लिए अनुबंध राशि.
ए जी पिछले वर्ष की अनुबंध राशि.
महाकाव्य विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक 6 महीने पहले चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि।
इपीआई जी विद्युत उत्पादों के लिए थोक मूल्य सूचकांक 6 महीने पहले पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि।
सोपोआई सी ओद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आखेल भारतीय औसत) 6 महीने चालू वर्ष के लिए अनुबंध की प्रारंभ तिथि से पहले।
सोपोआई जी ओद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आखेल भारतीय औसत) 6 महीने पिछले वर्ष के अनुबंध की प्रारंभ तिथि से पहले।

निविदाओं का मूल्यांकन प्रणाली की शुद्ध स्वामित्व लागत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें प्रणाली की पूँजीगत लागत (ए) शामिल होगी तथा एक वर्ष की दोष देयता अवधि की समाप्ति के बाद 9 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा सेवा शुल्क (एएमसी) के लिए उद्धृत दरों के प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा।

शुद्ध स्वामित्व लागत प्रणाली (ए) की कुल पूँजी लागत और एक वर्ष की डीएलपी के बाद 9 वर्ष की अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध शुल्क के एनपीवी का योग होगी।

एनपीवी कारक की गणना एएमसी के पहले वर्ष के बाद हर साल संविदा राशि में 5% की वृद्धि, त्रैमासिक भुगतान और 8% की छूट दर मानकर की जाएगी।

सिस्टम की शुद्ध स्वामित्व लागत = पूँजीगत लागत (ए) + (एएमसी शुल्क (बी) x एमएफ)

(एमएफ 10 वर्षों के लिए एनपीवी कारक है (1-वर्ष डीएलपी + 9 वर्ष एएमसी) = **7.1161**)

18. व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी) की प्रतिबद्ध अवधि: ठेकेदार को यह वचन देना होगा कि वारंटी अवधि सह निरीक्षण सेवा के एक वर्ष के बाद, वे अगले 9 वर्षों तक रखरखाव और पुर्जों का समर्थन देना जारी रखेंगे। साल।

19. अदायगी की शर्तें:

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें, वैधानिक कटौतियों के अधीन, संविदा पर लागू होंगी:

- (क)** साइट पर सभी सामग्रियों की डिलीवरी और निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए आनुपातिक आधार पर उद्धृत दर का 60%, सभी वैधानिक कटौतियों के अधीन:
- i) मूल उपकरण निर्माता के परीक्षण प्रमाणपत्र

ii) ठेकेदार का प्रमाण पत्र कि प्रणाली की सफल स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए सभी घटक, भाग, उप प्रणालियां, उपभोग्य वस्तुएं आदि साइट पर पहुंचा दी गई हैं और सफल स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग से संबंधित किसी अन्य आवश्यकता के मामले में ठेकेदार उन्हें बिना किसी लागत के आपूर्ति करेगा।

iii) निविदा शर्तों के अनुसार बीमा पॉलिसियाँ

(ख) निविदा के इस भाग के खंड 21 के अनुसार बैंक को सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और सौंपने तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर उद्धृत दर का 40%।

20. प्रतिधारण राशि जमा: प्रत्येक लेखा बिल से 5% की दर से प्रतिधारण राशि तब तक वसूली जाएगी जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज में निर्धारित संविदा मूल्य के 5% के बराबर न हो जाए और इसे एक वर्ष की डीएलपी अवधि के बाद जारी कर दिया जाएगा।

21. कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी (बीजी) : - धूल संग्राहक प्रणाली का अनुमानित जीवन चक्र यूनतम 10 वर्ष है। इसलिए, संविदा राशि के 5% के बराबर प्रारंभिक पीबीजी, उपकरण के चालू होने और सौंपे जाने की तिथि से 4 वर्षों तक वैध रहेगा। इसके बाद, ठेकेदार को प्रारंभिक बीजी की समाप्ति से चार सप्ताह पहले मूल पीबीजी राशि के 50% के बराबर एक नया पीबीजी जमा करना होगा और यह अगले 06 वर्षों के लिए वैध रहेगा। यदि ठेकेदार समय सीमा के भीतर नया पीबीजी जमा करने में विफल रहता है, तो आरबीआई तिरुवनंतपुरम पहले वाले बीजी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. बीमा:- ठेकेदार अपने स्वयं के व्यय पर, नियोक्ता और स्वयं के संयुक्त नाम से, जिसमें नियोक्ता प्रथम होगा (भारतीय रिजर्व बैंक) निम्नलिखित बीमा पॉलिसियों को आईआरडीए द्वारा अनुमोदित कार्यालय में प्रभावी करने और बनाए रखने (अनुबंध के वास्तविक समापन तक) की व्यवस्था करेगा और इस अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को नियोक्ता के पास जमा करेगा।

a) अनुबंध की कुल राशि के लिए भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग नीति।

b) कामगार मुआवजा नीति।

c) तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैं।

I. रु.10,00,000/- प्रति वर्ष

II. प्रति घटना 2,00,000/- रुपये

23. सिस्टम का भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहाँ डस्ट कंट्रोलर की आपूर्ति और स्थापना की गई है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद का निपटारा भी उसी राज्य में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में किया जाएगा जहाँ उक्त डस्ट कंट्रोलर स्थापित किया गया है।

24. ठेकेदारों को निविदा के साथ प्रणाली के सभी तकनीकी विवरण अपलोड करने होंगे।

25. प्रशिक्षण: निविदाकर्ता बैंक को बिना किसी शुल्क के सिस्टम सौंपने से पहले बैंक के इंजीनियरों/तकनीशियनों को सिस्टम पर प्रशिक्षण देगा।

26. करार: सफल निविदाकर्ता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर संलग्न प्रारूप में गैर-
न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक समझौता करना होगा। हालाँकि, बैंक द्वारा स्वीकृति
पत्र जारी करना एक बाध्यकारी अनुबंध माना जाएगा, मानो ऐसा समझौता पहले ही हो चुका हो
और इस अनुबंध पर सभी नियम व शर्तें लागू होंगी।

ठेकेदार के हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

इससे पूर्व संदर्भित / इसके पूर्व उल्लिखित शर्तें

1. व्याख्या खंड: इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा करार की व्याख्या करते समय, निम्नलिखित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें इसमें दिए गए हैं, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा अपेक्षित हो।
2. "नियोक्ता" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक से होगा तथा इसमें उसके समनुदेशिती और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
3. साझेदारी के मामले में "ठेकेदार": "ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ और _____ जो _____ नाम और शैली में साझेदार के रूप में व्यापार करते हैं और जिनका व्यवसाय स्थान _____ पर है और इसमें उक्त फर्म के वर्तमान साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
व्यक्ति के मामले में: "ठेकेदार" का अर्थ _____ होगा जो _____ के नाम और शैली में व्यापार करता है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कंपनी के मामले में: "ठेकेदार" का अर्थ _____ होगा जो _____ 19_ के तहत निर्गमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे।
4. "स्थल" का तात्पर्य संविदा कार्य के स्थल से होगा, जिसमें कोई भवन और उस पर निर्मित निर्माण तथा नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के उपयोग के लिए पूर्वोक्त रूप से आबंटित कोई अन्य भूमि (सम्मिलित रूप से) शामिल है।
5. "यह संविदा": का अर्थ होगा करार की शर्तें, विशेष शर्तें, शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश जो इसके साथ संलग्न हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।
6. "लिखित सूचना या लिखित नोटिस" का अर्थ लिखित, टाइप या मुद्रित अक्षरों में भेजा गया नोटिस होगा (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित न किया गया हो या अन्यथा प्राप्त हुआ साबित न हुआ हो) पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी या व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय को भेजा गया हो और यह तब प्राप्त हुआ माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया गया होता।
7. "दिवालियापन का कार्य": इसका अर्थ प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, या प्रांतीय दिवाला अधिनियम या ऐसे मूल अधिनियम में संशोधन करने वाले किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित किसी भी दिवालियेपन के कार्य से होगा।
8. "शुद्ध मूल्य": यदि संविदा राशि निर्धारित करते समय, ठेकेदार ने निविदा में मदों के योग में प्रतिशत के रूप में या अन्यथा कोई राशि जोड़ी या घटाई है, तो निविदा में किसी भी मद का शुद्ध मूल्य, निविदा में उस मद के मूल्य के रूप में दिखाई गई वास्तविक राशि में समान प्रतिशत या आनुपातिक राशि जोड़कर या घटाकर प्राप्त राशि होगी। बशर्ते कि ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या घटाई गई राशि का प्रतिशत या अनुपात निर्धारित करते समय, किसी भी मूल लागत मद और अनंतिम धनराशि की कुल राशि को निविदा की कुल राशि से घटाया जाएगा। अनुबंध या खातों के संदर्भ में प्रयुक्त "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" का अर्थ इस प्रकार प्राप्त दरें या मूल्य माना जाएगा।

9. "कार्य" का अर्थ होगा "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा"।

10. ठेकेदार उक्त कार्य को हर दृष्टि से इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों एवं उसकी संतुष्टि के अनुसार पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेक से और समय-समय पर निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त चित्र और/या लिखित निर्देश, विवरण, निर्देश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" कहा जाएगा:

(क) कार्यों के डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन या संशोधन या किसी कार्य को जोड़ना या छोड़ना या प्रतिस्थापित करना।

(ख) आरेखों में या मात्राओं की अनुसूची और/या आरेखों और/या विनिर्देश के बीच कोई विसंगति।

(ग) ठेकेदार द्वारा वहां लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना तथा उसके स्थान पर किसी अन्य सामग्री का उपयोग करना।

(घ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

(ई) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति की कार्य से बर्खास्तगी।

(च) किसी ढके हुए कार्य का निरीक्षण हेतु खोला जाना।

(छ) इसके खंड 19 के अंतर्गत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना।

11. ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को दिए गए नियोक्ता के अनुदेशों, निर्देशों और स्पष्टीकरणों में शामिल किसी भी कार्य का तुरंत अनुपालन करेगा और उसे विधिवत रूप से निष्पादित करेगा, यदि इसमें कोई परिवर्तन शामिल है, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में इसकी पुष्टि की जाएगी, और यदि नियोक्ता द्वारा अगले सात दिनों के भीतर लिखित रूप में असहमति नहीं जताई जाती है, तो इसे संविदा के दायरे में नियोक्ता का अनुदेश माना जाएगा।

12. नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन

ठेकेदार, नियोक्ता के माध्यम से मात्रा और दरों का विवरण प्रस्तुत करेगा, जो दरों, वाउचर आदि के विश्लेषण द्वारा विधिवत समर्थित होगा। नियोक्ता द्वारा जाँच और अंतिम स्वीकृति के बाद दरें एक पूरक निविदा का रूप लेंगी। नियोक्ता इन विवरणों को स्वीकृत किए जाने तक ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13. मात्राओं की अनुसूची और करार

संविदा दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा, और नियोक्ता और ठेकेदार दोनों अपने उपयोग के लिए एक-एक निष्पादित प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस पर हस्ताक्षर करने पर, नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को प्रत्येक विनिर्देश की एक प्रति प्रदान की जाएगी।

14. ठेकेदार को अपनी लागत पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी

ठेकेदार को अपने खर्च पर मात्राओं और विनिर्देशों की मंशा और अनुसूची के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सभी चीजें उपलब्ध करानी होंगी, चाहे उन्हें विशेष रूप से दर्शाया गया हो या नहीं, बशर्ते कि उनसे उचित रूप से अनुमान लगाया जा सके, और यदि ठेकेदार को मात्राओं और विनिर्देशों की अनुसूची में कोई

विसंगति मिलती है तो वह उसे तत्काल और लिखित रूप में नियोक्ता को भेजेगा, जो निर्णय लेगा कि किसका पालन किया जाना है।

15. प्राधिकारियों के नोटिस और पेटेंट

ठेकेदार को कार्य से संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी प्राधिकरण, किसी भी जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों तथा/या प्राधिकरणों, जिनकी प्रणालियों से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है, के विनियमों और उप-नियमों का पालन करना होगा, और ऐसा करने से आवश्यक होने पर, आरेखों या विनिर्देशों में कोई भी परिवर्तन करने से पहले, नियोक्ता को प्रस्तावित परिवर्तन और उसके कारण का उल्लेख करते हुए लिखित सूचना देनी होगी और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य करेगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी परिवर्तन पर धारा 13 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदार को उक्त अधिनियमों, विनियमों या उपविधियों द्वारा किसी प्राधिकारी को दी जाने वाली सभी सूचनाएं नियोजक के ध्यान में लानी होंगी तथा ऐसे प्राधिकारी या किसी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के संबंध में उचित रूप से प्रभार्य सभी शुल्कों का भुगतान करना होगा तथा नियोजक के पास रसीदें जमा करनी होंगी।

ठेकेदार, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के विरुद्ध नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, तथा ऐसे दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा, तथा स्वयं सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, क्षति, लागत और सभी प्रकार के प्रभारों का भुगतान करेगा, जो कानूनी रूप से उसके संबंध में व्यय किए जा सकते हैं।

16. कार्यों का प्रारंभ

ठेकेदार कार्यों का निर्धारण करेगा और उनके सही और पूर्ण निर्धारण तथा उनके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और सरेखण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि कार्य के दौरान या कार्य पूरा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, तो नियोक्ता की संतुष्टि के लिए अपने खर्च पर ऐसी त्रुटि को ठीक करेगा।

17. सामग्री और कारीगरी विवरण के अनुरूप होनी चाहिए

सभी सामग्रियाँ और कारीगरी, जहाँ तक संभव हो, मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाते, रसीदें और अन्य वाउचर प्रदान करेगा ताकि यह साबित हो सके कि सामग्री उसके अनुरूप है। ठेकेदार अपने खर्च पर नियोक्ता द्वारा अपेक्षित किसी भी सामग्री का परीक्षण कराएगा और/या परीक्षण कराएगा।

18. कार्यों पर ठेकेदार का अधीक्षण और प्रतिनिधि

ठेकेदार, कार्य के निष्पादन के दौरान और उसके बाद, जब तक नियोक्ता आवश्यक समझे, परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति तक, सभी आवश्यक व्यक्तिगत पर्यवेक्षण प्रदान करेगा। ठेकेदार, कार्य प्रगति पर रहने की पूरी अवधि के दौरान, एक सक्षम प्रतिनिधि को भी नियुक्त करेगा जो कर्मचारियों के कार्य करते समय निरंतर कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या सूचनाएँ ठेकेदार को दी गई मानी जाएँगी।

19. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार, नियोजक के अनुरोध पर, अपने द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को, जो नियोजक की राय में अयोग्य हो या कदाचारी हो, कार्य से तुरन्त हटा देगा तथा ऐसे व्यक्तियों को नियोजक की अनुमति के बिना कार्य पर पुनः नियोजित नहीं किया जाएगा।

20. कार्यों तक पहुंच

नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को हर समय कार्य स्थल और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहाँ सामग्री रखी है या जहाँ से उसे प्राप्त किया जा रहा है, जाने की पूरी आज़ादी होगी और ठेकेदार नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और परीक्षण के लिए आवश्यक हर सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, नियोक्ता द्वारा अधिकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

21. सहायक प्रबंधक (टी) / प्रबंधक (टी)

"सहायक प्रबंधक (टी)" शब्द का अर्थ नियोक्ता द्वारा कार्यों के निरीक्षण हेतु नियुक्त और भुगतान किया जाने वाला व्यक्ति होगा। ठेकेदार, सहायक प्रबंधक (टी) को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण तथा जाँच एवं मापन के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी), या नियोक्ता के किसी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी कार्य या सामग्री के अनुमोदन न करने के निर्देश देने होंगे और नियोक्ता का निर्णय प्राप्त होने तक ऐसे कार्य को निलंबित कर दिया जाएगा या ऐसी सामग्री का उपयोग बंद कर दिया जाएगा। सहायक प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर कार्य की जाँच की जाएगी, लेकिन ऐसी जाँच किसी भी तरह से ठेकेदार को कार्य के किसी भी चरण में या कार्य पूरा होने के बाद पाए जाने वाले किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। इस खंड की सीमा के अधीन, ठेकेदार केवल नियोक्ता से ही निर्देश प्राप्त करेगा।

22. असाइनमेंट और उप पट्टे पर देना

संविदा में शामिल सभी कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाएँगे। और ठेकेदार, नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, संविदा या उसके किसी हिस्से या उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदेशित या पट्टे पर नहीं देगा, और कोई भी वचनबद्धता ठेकेदार को संविदा की पूरी और सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी से या कार्यों के दौरान उनके सक्रिय पर्यवेक्षण से मुक्त नहीं करेगी।

23. परिवर्तन/जोड़/छूट आदि।

कोई भी परिवर्तन, चूक या परिवर्तन इस संविदा को अमान्य नहीं करेगा, लेकिन यदि नियोक्ता कार्यों की प्रगति के दौरान किसी भी समय कार्यों में कोई परिवर्तन, या परिवर्धन, या लोप करना या उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करना उचित समझता है और इसकी लिखित सूचना ठेकेदार को अपने हस्ताक्षर सहित देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, परिवर्तन करेगा, जोड़ेगा, या लोप करेगा, लेकिन ठेकेदार नियोक्ता की लिखित पूर्व सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा या कार्यों में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या लोप नहीं करेगा या अनुबंध, शर्त, विनिर्देशों के किसी भी प्रावधान से कोई विचलन नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन या लोप का मूल्य सभी मामलों में नियोक्ता द्वारा इसके खंड 27 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, और इसे तदनुसार, जैसा भी मामला हो, संविदा राशि में जोड़ा जाएगा, या घटाया जाएगा।

24. मात्राओं की अनुसूची

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक विधि के अनुसार तैयार की गई मानी जाएगी। मात्राओं की अनुसूची में किसी भी मद के विवरण, मात्रा या लोप में कोई त्रुटि होने पर यह संविदा अमान्य नहीं होगा, बल्कि उसे सुधारा जाएगा और उसके खंड 27 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य को संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि ठेकेदार की दर अनुसूची में किसी भी प्रकार का सुधार या त्रुटि, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता तथा मात्रा अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में उल्लिखित मूल्यों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है, जो दरें और मूल्य संविदा के तहत उसके सभी दायित्वों और कार्य के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेंगे।

26. कार्यों का मापन

नियोक्ता समय-समय पर ठेकेदार को सूचित कर सकता है कि उसे कार्यों की माप की आवश्यकता है और ठेकेदार तुरंत उपस्थित होगा या सहायक प्रबंधक (टी) को ऐसे माप और गणना करने में सहायता करने के लिए एक योग्य एजेंट भेजेगा और सभी विवरण प्रस्तुत करेगा या उनमें से किसी के द्वारा अपेक्षित सभी सहायता देगा। यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा करता है या चूक करता है, तो नियोक्ता या उसके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिया गया माप कार्य का सही माप माना जाएगा।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट्स और माप ले सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो।

सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और नियोक्ता की जानकारी में किए गए सभी बदलाव, लेकिन बाद में उसके द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किए गए, ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

27. अतिरिक्त आदि की कीमतों का पता लगाना

ठेकेदार, नियोक्ता द्वारा अधिकृत और लिखित अनुदेश दिए जाने पर, चित्रों में दर्शाए गए, विनिर्देश में वर्णित, या मात्रा अनुसूची में शामिल कार्यों में कुछ जोड़ या घटा सकता है या उनमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ठेकेदार ऐसे प्राधिकरण या निर्देश के बिना कोई जोड़, घटा या परिवर्तन नहीं करेगा। नियोक्ताओं द्वारा मौखिक प्राधिकरण या निर्देश, यदि नियोक्ताओं द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि कर दिया जाता है, तो उसे लिखित रूप में दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त राशि के लिए कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वह धारा 15 के प्रावधानों के तहत या नियोक्ता के प्राधिकार द्वारा निष्पादित न की गई हो। ऐसी किसी भी अतिरिक्त राशि को यहाँ अधिकृत अतिरिक्त राशि कहा गया है और भुगतान निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(क) (i) मूल निविदा में निवल दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य का मूल्यांकन निर्धारित करेंगी, जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य उसी प्रकार का है और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान शर्तों के तहत निष्पादित किया गया है।

(ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहां तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

(ख) मूल निविदा की निवल कीमतें छोड़ी गई मदों का मूल्य निर्धारित करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक से उन शर्तों में परिवर्तन होता है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष मदें की जाती हैं, तो उनके लिए कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

(ग) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त समान शर्तों के तहत निष्पादित किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों को भिन्न करती है जिनके तहत कार्यों की कोई शेष मदें की जाती हैं या यदि संपूर्ण संविदा कार्यों या उसके किसी भाग की राशि के सापेक्ष किसी चूक या वृद्धि की मात्रा ऐसी है कि नियोक्ता की राय में, मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची या निविदा में या कार्यों की किसी मद के लिए निहित शुद्ध दर या कीमत में ठेकेदार द्वारा उचित रूप से परिकल्पित हानि या व्यय से अधिक हानि या व्यय शामिल है या ऐसी चूक या वृद्धि के कारण अनुचित या अनुपयुक्त हो जाती है, नियोक्ता ऐसी अन्य दर या कीमत तय करेगा जैसा कि परिस्थितियों में वह नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन से तर्कसंगत और उचित समझे।

(घ) जहां अतिरिक्त कार्य को उचित रूप से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, वहां ठेकेदार को निविदा या मात्राओं की मूल्यांकित अनुसूची में उल्लिखित निवल दरों के अनुसार दैनिक कार्य की कीमतें दी जाएंगी या, यदि ऐसा नहीं कहा गया है, तो जिले के लिए स्थानीय दैनिक कार्य दरों और मजदूरी के अनुसार, बशर्ते कि किसी भी मामले में, दैनिक समय (और यदि नियोक्ता द्वारा अपेक्षित हो, तो कामगारों के नाम) और प्रयुक्त सामग्री को निर्दिष्ट करने वाले वाउचर, नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि को, कार्य निष्पादित होने के बाद के सप्ताह के अंत में या उससे पहले सत्यापन के लिए सौंप दिए जाएं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सभी प्राधिकृत अतिरिक्त वस्तुओं के लिए, जहाँ दरें निविदा से प्राप्त नहीं की जा सकतीं, ठेकेदार को "वास्तविक लागत के आधार पर" दर विश्लेषण द्वारा समर्थित दरें प्रस्तुत करनी होंगी, साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और लाभ के लिए 15% अतिरिक्त देना होगा। ऐसी वस्तुओं पर वृद्धि नहीं की जाएगी।

संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में उल्लिखित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा या यदि नहीं उल्लिखित है तो खंड 30 में परिभाषित अनुबंध कार्यों के पूरा होने के तीन महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

28. अनिश्चित सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है

जहाँ किसी प्रमाणपत्र में (जिसके लिए ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हो चुका है) नियोक्ता ने कार्य के लिए और/या कार्य पर या उसके आस-पास रखी गई किसी भी अनिर्धारित सामग्री का मूल्य शामिल किया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और नियोक्ता के लिखित प्राधिकार के बिना, कार्य पर उपयोग के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

29. अनुचित कार्य को हटाना

नियोक्ता को, कार्यों के दौरान, समय-समय पर लिखित रूप से आदेश देने का अधिकार होगा कि वह आदेश में निर्दिष्ट उचित समय या समयों के भीतर कार्यों से ऐसी किसी भी सामग्री को हटा दे जो नियोक्ता की राय में नियोक्ता के विनिर्देशों या निर्देशों के अनुरूप नहीं है, उचित सामग्रियों को प्रतिस्थापित करे, और ऐसी सामग्री से किए गए किसी भी कार्य को हटा दे और उचित तरीके से पुनः निष्पादित करे, और ऐसी कारीगरी जो विनिर्देशों

या निर्देशों के अनुरूप न हो, और ठेकेदार ऐसे आदेश का तुरंत अपने खर्च पर पालन करेगा। यदि ठेकेदार ऐसे आदेश का पालन करने में चूक करता है, तो नियोक्ता को उसी कार्य को पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करने और उन्हें भुगतान करने का अधिकार होगा, और इसके परिणामस्वरूप या उसके आनुषंगिक सभी व्यय, जैसा कि नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएँगे, या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से, या जो देय हो सकती है, काट लिए जाएँगे।

30. आभासी पूर्णता के बाद दोष

कोई भी दोष, समाधान या अन्य त्रुटियाँ जो परिशिष्ट में बताई गई “दोष दायित्व अवधि” के भीतर, या यदि कुछ नहीं बताया गया है तो कार्य के वास्तविक समापन के बाद बारह महीनों के भीतर, नियोक्ता की राय में, अनुबंध के अनुसार सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न होती हैं, नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर संशोधित और ठीक किया जाएगा और डिफॉल्ट के मामले में, नियोक्ता ऐसे दोषों, समाधानों या अन्य त्रुटियों को संशोधित करने और ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त और भुगतान कर सकता है, और इसके परिणामस्वरूप या इसके आनुषंगिक सभी क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा ठीक किए जाएंगे और वहन किए जाएंगे और ऐसी क्षति, हानि और व्यय नियोक्ता द्वारा उससे वसूल किए जा सकेंगे या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धन से काटे जा सकेंगे, या नियोक्ता ठेकेदार द्वारा ऐसे संशोधन और ठीक करने के बदले में ठेकेदार को देय किसी भी धन से एक राशि काट सकेगा, जिसे नियोक्ता द्वारा लागत के बराबर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे कार्य में संशोधन करना और यदि खंड 42 के अंतर्गत रखी गई राशि अपर्याप्त हो, तो ठेकेदार से शेष राशि, नियोक्ता द्वारा उससे संबंधित किसी भी व्यय सहित, वसूल करना। यदि ठेकेदार द्वारा कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया हो या कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति की गई हो, तो ठेकेदार उसकी भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा और इस खंड और खंड 10 के प्रावधानों के अधीन होगा। नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या कोई लेखा-जोखा प्रस्तुत करने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी रहेगा।

31. वास्तविक पूर्णता का प्रमाण पत्र और दोष दायित्व अवधि।

जब तक नियोक्ता लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं कर देता कि कार्य वस्तुतः पूर्ण हो चुका है, तब तक कार्य को पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाणपत्र की तिथि से प्रारंभ होगी।

32. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

नियोक्ता इस संविदा में शामिल नहीं किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए परिसर और साइट के किसी भी भाग का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों से करवाना चाहता हो। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए सभी उचित सुविधाएँ प्रदान करेगा, लेकिन नियोक्ता के साथ विशेष व्यवस्था के बिना ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए कोई संयंत्र या सामग्री उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में कोई बाधा न आए और ठेकेदार ऐसे कार्य के कारण होने वाली किसी भी क्षति या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

33. बीमा

ठेकेदार को अपने खर्च पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ संयुक्त नाम से आवश्यक बीमा कवर (अर्थात् ईएआर पॉलिसी, श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी, तृतीय पक्ष देयता आदि) लेना होगा तथा कार्य प्रारंभ होने से पहले उसे प्रस्तुत करना होगा।

34. प्रारंभ और समापन की तिथि

ठेकेदार को परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्यारंभ की तिथि" पर या नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट किसी बाद की तिथि पर साइट पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और वह इसके तुरंत बाद कार्य शुरू कर देगा और नियमित रूप से आगे बढ़ेगा और परिशिष्ट में उल्लिखित "कार्यारंभ की तिथि" पर या उससे पहले उसे पूरा करेगा (ऐसी पेटिंग या अन्य सजावटी कार्य को छोड़कर, जिसे नियोक्ता विलंबित करना चाहे) तथा इसके बाद इसमें दिए गए समय के विस्तार के प्रावधानों के अधीन होगा।

35. कार्य पूरा न करने पर क्षतिपूर्ति

यदि ठेकेदार संविदा में निर्धारित समय सीमा के भीतर या समय विस्तार खंड के अंतर्गत किसी विस्तारित समय के भीतर कार्य की अपेक्षित प्रगति बनाए रखने में विफल रहता है और नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि उसकी राय में कार्य को उचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए था, तो ठेकेदार नियोक्ता को उस अवधि के लिए "परिसमाप्त क्षति" के रूप में नामित राशि का भुगतान करेगा, जिसके दौरान उक्त कार्य अपूर्ण रहेगा और नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से ऐसी क्षति की कटौती कर सकता है।

36. विलंब और समय विस्तार

यदि नियोक्ता की राय में, कार्य में देरी होती है (क) अप्रत्याशित घटना के कारण या (ख) किसी असाधारण खराब मौसम के कारण या (ग) ठेकेदार की अपनी चूंक के अलावा आसपास के या पड़ोसी मालिकों या सार्वजनिक अधिकारियों के साथ कार्यवाही या धमकी या विवाद के कारण या (घ) नियोक्ता द्वारा नियोजित या नामित अन्य ठेकेदार या कारीगरों के कार्यों या देरी के कारण और मात्रा अनुसूची और/या विनिर्देश में संदर्भित नहीं है या (ङ) इसके खंड 2 के अनुसार नियोक्ता के निर्देशों के कारण या (च) नागरिक हंगामा, श्रमिकों के स्थानीय संयोजन या हड़ताल या तालाबंदी के कारण जो किसी भी निर्माण व्यापार को प्रभावित करता है या (छ) ठेकेदार को नियोक्ता से उचित समय में आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप, जिसके लिए उसने विशेष रूप से लिखित रूप में आवेदन किया होगा या (ज) अन्य कारणों से जिसे नियोक्ता ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित कर सकता है या (इ) घटना में, कार्य का मूल्य और संविदा कार्यों को पूरा करने के लिए समय का उचित विस्तार, ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामले में ठेकेदार को यथासंभव शीघ्र लिखित रूप में नियोक्ता को इसकी सूचना देनी होगी, लेकिन फिर भी ठेकेदार विलम्ब को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो उचित रूप से अपेक्षित हो।

37. ठेकेदार द्वारा नियोक्ता के अनुदेशों का पालन करने में विफलता

यदि ठेकेदार, नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त करने के बाद, जिसमें दस दिनों के भीतर अनुपालन की अपेक्षा की गई हो, नियोक्ता के ऐसे आगे के अनुदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता ऐसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है और उन्हें भुगतान कर सकता है, जो कि उसे प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है, और इसके संबंध में किए गए सभी खर्च नियोक्ता द्वारा

ठेकेदार से ऋण के रूप में वसूल किए जा सकेंगे या ठेकेदार को देय किसी भी धनराशि से उसके द्वारा काटे जा सकेंगे।

38. नियोक्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि ठेकेदार, एक व्यक्ति या फर्म होते हुए, कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके विरुद्ध अनिवार्य समापन का आदेश दिया जाता है या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की देखरेख में समापन के लिए प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में, जैसा भी मामला हो, आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, उसे ऐसा करने के लिए कहने वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर नियोक्ता की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और पूरा करने में सक्षम है और यदि नियोक्ता द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो इसके लिए सुरक्षा दे सकता है।

या यदि ठेकेदार (चाहे वह व्यक्ति, फर्म या निगमित कंपनी हो) ठेकेदार के विरुद्ध जारी की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने के लिए न्यायालय की कार्यवाही या अन्य प्रक्रिया को सहन करेगा।

या इस संविदा के अंतर्गत किसी भी भुगतान को ठेकेदार के किसी भी लेनदार द्वारा या उसकी ओर से कुर्क किया जाएगा।

या नियोक्ता की लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध को सौंपेगा या उप-पट्टे पर देगा।

या इस संविदा या इसके अंतर्गत ठेकेदार को देय या देय होने वाले किसी भी भुगतान को प्रभारित या भारग्रस्त नहीं करेगा।

या यदि नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार.

(i) संविदा का परित्याग कर दिया है, या

(ii) कार्य प्रारंभ करने में असफल रहा है, या इन शर्तों के अधीन किसी वैध बहाने के बिना नियोक्ता से कार्य प्रारंभ करने का नोटिस प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों के लिए कार्य की प्रगति को निलंबित कर दिया है, या

(iii) कार्य को ऐसे परिश्रम के साथ आगे बढ़ाने में असफल रहा है तथा ऐसी प्रगति करने में असफल रहा है जिससे कार्य को सहमत समय के भीतर पूरा किया जा सके, या

(iv) नियोक्ता से लिखित नोटिस प्राप्त होने के सात दिन बाद तक साइट से सामग्री हटाने या काम को हटाने और बदलने में विफल रहा है कि उक्त सामग्री या कार्य को इन शर्तों के तहत नियोक्ता द्वारा निंदा और अस्वीकार कर दिया गया था, या

(v) इस संविदा द्वारा ठेकेदार द्वारा पालन और निष्पादित किए जाने वाले सभी या किसी भी कार्य, मामले या चीज का पालन करने और निष्पादित करने में लगातार उपेक्षा या असफलता की है, ठेकेदार को लिखित नोटिस दिए जाने के बाद सात दिनों के लिए ठेकेदार को इसका पालन करने या निष्पादित करने की आवश्यकता है।

तब और उक्त किसी भी मामले में नियोक्ता, किसी पूर्व अधित्याग के बावजूद, ठेकेदार को लिखित में सात दिन का नोटिस देने के बाद, संविदा का निर्धारण कर सकता है, लेकिन इससे नियोक्ता की शक्तियों या संविदा के दायित्वों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पूरी तरह से उसी तरह लागू रहेगा जैसे कि संविदा का निर्धारण नहीं किया गया है, और जैसे कि बाद में निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए थे और इसके अलावा, नियोक्ता अपने एजेंटों या कर्मचारियों द्वारा कार्यों और परिसर या आसपास की भूमि या सड़कों पर पड़े सभी संयंत्र, उपकरण, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और अन्य बिजली के उपकरणों और सामग्रियों को अपने कब्जे में ले सकता है, और उसे अपनी संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकता है या कार्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के माध्यम से या कार्यों को पूरा करने के लिए

किसी अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित कर सकता है, और ठेकेदार किसी भी तरह से ऐसे अन्य ठेकेदार या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यों को पूरा करने और खत्म करने या सामग्रियों और संयंत्र का उपयोग करने से रोकने या बाधा डालने के लिए कोई कार्य, बात या चीज नहीं करेगा। जब कार्य पूरा हो जाएगा या उसके बाद जितनी जल्दी सुविधा हो, नियोक्ता ठेकेदार को लिखित में नोटिस देगा कि वह अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र को हटा ले, और यदि ठेकेदार उसे प्राप्त होने के बाद चौदह दिनों की अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो नियोक्ता उसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच सकता है, और प्राप्त शुद्ध राशि के लिए ठेकेदार को क्रेडिट दे सकता है।

39. ठेकेदार द्वारा संविदा की समाप्ति

यदि नियोक्ता के प्रमाणपत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान बकाया है और उपरोक्त राशि के भुगतान की आवश्यकता वाले लिखित नोटिस के बाद तीस दिनों के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, जैसा कि ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को दिया गया है, या यदि नियोक्ता ऐसे किसी प्रमाणपत्र के जारी करने में हस्तक्षेप करता है या बाधा डालता है, या यदि नियोक्ता ठेकेदार को अस्वीकार कर देता है, या यदि नियोक्ता के आदेश के तहत या किसी भी न्यायालय के किसी भी निषेधाज्ञा या अन्य आदेश के तहत तीन महीने के लिए काम रोक दिया जाता है, तो और उक्त मामलों में से किसी में ठेकेदार नियोक्ता को लिखित में नोटिस देकर संविदा का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होगा, और वह नियोक्ता से निष्पादित सभी कार्यों के लिए भुगतान और संविदा के प्रयोजन के लिए आपूर्ति या खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी संयंत्र या सामग्री पर उसे होने वाली किसी भी हानि के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।

ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करने में ठेकेदार की मूल निविदा में निहित शुद्ध दरों का अनुसरण किया जाएगा अथवा जहां यह लागू न हो, वहां मूल्यांकन धारा 27 के अनुसार किया जाएगा।

40. मामला अंतिम रूप से नियोक्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा

नियोक्ता द्वारा निर्धारित निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र अंतिम और निर्णायक होगा तथा इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। नियोक्ता का कोई अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र या मूल्यांकन, या नियोक्ता द्वारा इनमें से कोई भी देने से इनकार, सभी मामलों में (संदर्भ खोलने संबंधी प्रावधानों सहित) उसी प्रकार धारा 42 के अंतर्गत मध्यस्थता और समीक्षा के अधिकार के अधीन होगा मानो वह नियोक्ता का निर्णय हो।

41. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा

संविदा या कार्यों के निष्पादन से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान हों या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के निर्धारण, परित्याग या उल्लंघन से पहले या बाद में) नियोक्ता को भेजे जाएँगे और उनके द्वारा निपटाए जाएँगे, जो अपना निर्णय लिखित रूप में बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा और इसके खंड 41 के अनुसार अपील रहित होगा। लेकिन यदि नियोक्ता या ठेकेदार किसी भी प्रकार के प्रश्न या विवाद (अपवादित मामलों को छोड़कर) या नियोक्ता द्वारा किसी ऐसे प्रमाणपत्र को रोके रखने के संबंध में असंतुष्ट हैं, जिसके लिए ठेकेदार हकदार होने का दावा कर सकता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में कोई भी पक्ष (नियोक्ता या ठेकेदार) ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर नियोक्ता के माध्यम से दूसरे पक्ष को एक लिखित सूचना दे सकता है जिसमें विवादित मामलों पर मध्यस्थता की

मांग की जाएगी। ऐसी लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिनके बारे में ऐसी लिखित सूचना दी गई है। इन मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और अंतिम निर्णय एक मध्यस्थ का होगा जिस पर दोनों पक्ष सहमत होंगे और उसे नियुक्त करेंगे, या किसी एक मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में असहमति की स्थिति में दो मध्यस्थों की नियुक्ति की जाएगी, जिनमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा, और मध्यस्थ, स्वयं भार या संदर्भ लेने से पहले एक निर्णयिक की नियुक्ति करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों को, जैसा भी मामला हो, खोलने, समीक्षा करने और

पूर्ववर्ती खंड में निर्दिष्ट अपवादित मामलों के संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को संशोधित करना, और विवादित सभी मामलों को निर्धारित करना जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनके बारे में पूर्वोक्त रूप से सूचना दी गई है।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, संदर्भ में प्रवेश करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर (या पक्षकारों की सहमति से उनके द्वारा तय की गई अतिरिक्त अवधि के भीतर) अपना निर्णय सुनाएगा। यदि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवाद या मतभेद का निपटारा, समझौता या समझौता कर लेते हैं, तो मध्यस्थता के लिए संदर्भ और मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति रद्द मानी जाएगी और मध्यस्थता कार्यवाही उस तिथि से वापस ले ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी जिस दिन पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थों के साथ संयुक्त समझौता ज्ञापन दाखिल करेंगे।

प्रत्येक या ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और पंचाट की लागत और उससे संबंधित लागत क्रमशः मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं के विवेक पर निर्भर होगी, जैसा भी मामला हो, जो उसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं, या वकील और मुवक्किल के बीच या पक्षकारों के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं और यह भी निर्देश देंगे कि वह राशि किसके द्वारा, किसे और किस मामले में वहन की जाएगी और भुगतान की जाएगी। यह प्रस्तुति भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, (नवीनतम संशोधन) या उसमें किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुति मानी जाएगी। मध्यस्थ या पंचाटकर्ताओं का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि ठेकेदार किसी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, बल्कि सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और जब तक मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय नहीं दिया जाता है, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता के निर्णय का पालन करेगा और मध्यस्थ या किसी भी पुरस्कार का पालन नहीं करेगा।

मध्यस्थ, जैसा भी मामला हो, ठेकेदार को कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में नियोक्ता के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त कर देंगे। नियोक्ता और ठेकेदार इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता, संविदा के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई के अधिकार के लिए एक पूर्व शर्त होगी।

42. अंतिम बिल की तकनीकी जाँच का अधिकार

नियोक्ता को कार्य की तकनीकी जाँच और ठेकेदार के अंतिम बिल की जाँच करने का अधिकार होगा, जिसमें अंतिम बिल के भुगतान के समय सभी सहायक वाउचर, सारांश आदि शामिल होंगे। यदि इस जाँच के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई राशि अधिक भुगतान या अधिक प्रमाणित पाई जाती है, तो नियोक्ता के लिए उस राशि की वसूली करना वैध होगा।

43. नियोक्ता को कामगार को भुगतान किए गए मुआवजे को वापस लेने का अधिकार है यदि किसी भी कारण से नियोक्ता को कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के आधार पर या किसी भी वैधानिक संशोधन

या पुनः अधिनियमन के आधार पर कार्यों के निष्पादन में ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी कामगार को मुआवजा देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो नियोक्ता को अधिनियम के तहत नियोक्ता के अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान किए गए मुआवजे की राशि वसूलने का अधिकार होगा। नियोक्ता को इस संविदा के तहत या अन्यथा सुरक्षा जमा से या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी राशि से कटौती करके ऐसी राशि या उसके किसी भी हिस्से को वसूलने की स्वतंत्रता होगी। नियोक्ता उक्त अधिनियम के तहत उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे को चुनौती देने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय ठेकेदार के लिखित अनुरोध के और नियोक्ता को सभी लागतों के लिए नियोक्ता की संतुष्टि के लिए पूर्ण सुरक्षा देने पर, जिसके लिए नियोक्ता इस तरह के दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप उत्तरदायी हो सकता है।

44. कार्यों का परित्याग : यदि निविदा की स्वीकृति के बाद किसी भी समय नियोक्ता किसी भी कारण से पूरे कार्यों या उसके किसी भी हिस्से को पूरा करने की आवश्यकता नहीं रखता है, तो नियोक्ता ठेकेदार को लिखित रूप में नोटिस देगा, जिसका किसी भी लाभ या फायदे के कारण मुआवजे के भुगतान या अन्यथा किसी भी तरह का कोई दावा नहीं होगा, जो उसे पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता था।

45. अधिशेष सामग्रियों की वापसी : इस अनुबंध के किसी या सभी खंडों में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई भी सामग्री सरकार द्वारा जारी आदेशों या परमिट या लाइसेंस या लाइसेंसों के तहत की गई खरीद द्वारा नियोक्ता की सहायता से प्राप्त की जाती है, ठेकेदार उक्त सामग्रियों को आर्थिक रूप से और केवल संविदा के प्रयोजन के लिए रखेगा और नियोक्ता की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उनका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता द्वारा आवश्यक हो, तो नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली कीमत पर उन्हें नियोक्ता को वापस कर देगा, जिसमें सामग्रियों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाने वाली कीमत जीएसटी और ठेकेदार द्वारा उसके संबंध में भुगतान किए गए अन्य ऐसे शुल्कों सहित खरीद मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूर्वोक्त शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, ठेकेदार, लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/या आपराधिक विश्वासघात के लिए कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने के अलावा,

46. यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता को इस अनुबंध के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संविदा को समाप्त करने का अधिकार होगा। यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता के पास ऐसी समाप्ति के लिए कोई दायित्व वहन किए बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा।

इससे पूर्व संदर्भित / इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

1	दोष दायित्व अवधि	बारह महीने
2	अंतिम मापन और अंतिम बिल के निपटान की अवधि	चालान जमा करने की तिथि से 45 दिन
3	प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश की तिथि से 10 दिन
4	पूरा होने के लिए अनुमत समय	कार्य आदेश के 10 वें दिन से 45 दिन
5	बयाना राशि	सभी बोलीदाताओं से 30,000/- रुपये
6	परिसमाप्त क्षति का मूल्य	प्रति सप्ताह कार्य के वास्तविक मूल्य का 0.25%, अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन
7	आरएमडी	प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से 5% की दर से रिटेंशन मनी तब तक वसूली जाएगी जब तक कि कुल वसूली निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित संविदा मूल्य के 5% के बराबर न हो जाए। यह राशि एक वर्ष की दोष दायित्व अवधि के बाद जारी की जाएगी।

सुरक्षा कोड

1. प्राथमिक उपचार उपकरण, जिनमें रोगाणुरहित ड्रेसिंग और रूई की पर्याप्त आपूर्ति शामिल है, आसानी से सुलभ स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2. यदि चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो तो घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए सार्वजनिक अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. सभी कार्यों के लिए, जो जमीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. किसी भी पोर्टेबल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइड रेलिंग के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होनी चाहिए और दो आसन्न डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी का इस्तेमाल करते समय, सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखी जाएगी। सभी खाइयों और खुदाई स्थलों पर आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था की व्यवस्था की जाएगी।
6. भवन के फर्श या कार्य मंच में प्रत्येक खुले स्थान पर उपयुक्त बाड़ या रेलिंग लगाकर व्यक्तियों या सामग्रियों के गिरने से बचाव के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे; न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फर्श, छत या संरचना के अन्य भाग पर सामग्री का इतना अधिक मलबा नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आंखों की ढाल और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
10. i) सीसा या सीसा उत्पादों से युक्त किसी भी पेंट का उपयोग पेस्ट या रेडीमेड पेंट के रूप में ही किया जाएगा। ii) जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाता है या सीसा पेंट वाली सतह को सूखाकर रगड़ा जाता है, तो श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति की जाएगी।
11. ठेकेदार द्वारा चित्रकारों को ओवरऑल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा कार्य समाप्ति की अवधि के दौरान कार्यरत चित्रकारों को कपड़े धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
12. कार्य में प्रयुक्त उत्थापक मशीनें और उपकरण, उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन सहित, उत्तम स्थिति में होने चाहिए।
13. सामग्री को ऊपर उठाने या नीचे उतारने में प्रयुक्त रस्सियाँ, या निलंबन साधन टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त मजबूती वाले तथा दोष रहित होने चाहिए।

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा

कार्यक्षेत्र और तकनीकी विनिर्देश

सीवीपीएस मशीनों के लिए धूल संग्रह प्रणाली

तीन सीवीपीएस मशीनें (दो मशीनों में पहले से ही धूल पकड़ने की सुविधा उपलब्ध है) एक बंद वातानुकूलित कमरे में रखी गई हैं। नोट सत्यापन प्रक्रिया के दौरान कमरे में बारीक धूल उत्पन्न होती है। यह उड़ती हुई धूल पर्यावरण और व्यावसायिक दृष्टि से हानिकारक है। इस धूल को पकड़कर छानना होता है, जिससे सीवीपीएस कमरे में धूल-नियंत्रित स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो सके।

प्रत्येक सीवीपीएस मशीन के ऊपरी भाग (सामने की ओर जहाँ ऑपरेटर पुराने नोट डालता है) में एक छेद होता है जहाँ धूल उत्पन्न होती है। प्रत्येक मशीन के ऊपर एक स्व-संतुलित धूल निष्कर्षण भुजा का उपयोग करके एक सक्षण हुड़ लगाया जाना चाहिए। लगभग 2 मीटर की दूरी पर स्थित धूल निष्कर्षण भुजा को लगभग 3 फीट की दूरी पर लगे फर्श पर लगे ग्राउटेबल पाइप स्टैंड से सहारा मिलेगा। भुजा के सिरे पर लगे सक्षण हुड़ को हाथ से आसानी से लगाया जा सकता है।

प्लूमकिलर , इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़िल्टर

मॉडल 6000 CMH /5hp, 2 पोल, 3 फेज, IE2ग्रेड मोटर

2 इनलेट के साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल, वायर मेष प्रीफिल्टर - 4 नंबर वायर मेष पोस्टफिल्टर - 2 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई 230VAC, सुरक्षा फॉल्ट ट्रिप सर्किटरी,

6000CMH, 5hp, 2पोल, 3फेज IE2 मोटर वाला सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, 25 मीटर केबल और रिमोट पुश बटन बॉक्स के साथ, पंखे के आउटलेट के लिए MS साइलेंसर, जिससे शोर लगभग 80dB तक कम हो जाता है।

भाग: प्रीफिल्टर, एचवी कंट्रोल पैनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर फ़िल्टर, पोस्ट फिल्टर, साइलेंसर, एक्सट्रैक्टर आर्म्स, फ्लेक्सी होज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल आदि।

फ़िल्टर दक्षता- 90% से 98% वायुजनित कण

पावर पैक उच्च वोल्टेज - 5KV से 10 KV

सुरक्षा विशेषताएं: दरवाजा खोलने के लिए उच्च वोल्टेज सीमा स्विच ट्रिप के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप।

स्वचालित पुनः आरंभ (बिजली रुकावट के बाद) वोल्टमीटर, एम्प मीटर, घंटा मीटर

शोर स्तर: 80 डीबी + - 2 डीबी

सामान

एमएस एंगल स्टैंड, पीवीसी डकिंग 200 मिमी व्यास - 30 मीटर

पीवीसी कोहनी 200 मिमी व्यास - 12 संख्या,

एमएस कलर्स 200 मिमी व्यास - 2 नग,

पीवीसी फ्लेक्सी नली 200 मिमी व्यास (हल्का काम) - 10 मीटर , वापसी हवा के लिए साइलेंसर आउटलेट के लिए एमएस 2 वे प्लेनम 200 मिमी-200 मिमी, वापसी वाहिनी के लिए जाली के साथ एमएस एंड कैप 200 मिमी व्यास - 2 संख्या, नली क्लैंप व्यास 9" व्यास - 12 संख्या, वाहिनी के लिए एमएस समर्थन कोण, पीवीसी सैडल - 6 संख्या, स्व-संतुलित एक्सट्रैक्टर आर्म - 2 संख्या टेलिस्कोपिक डैम्पर के साथ, सिंथेटिक कपड़े की फ्लेक्सी नली, घर्षण पैड, मैनुअल समायोज्य डैम्पर के साथ एमएस शंकाकार सक्षण हुड, 2 मीटर आगे/ पीछे , 2 मीटर ऊपर/नीचे

महत्वपूर्ण नोट; इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे विभिन्न वस्तुओं के माप सहित सटीक आवश्यकता का आकलन करने के लिए साइट पर जाएँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

जांच सूची

आर्थिक स्थितियां

क्रमांक।	विवरण	बैंक की शर्तें	निविदाकर्ता को स्वीकार्य है या नहीं (कृपया हाँ या नहीं बताएं)
1.	वैधता	खुलने की तारीख से 90 दिन भाग- ।	
2.	ईएमडी	आरबीआई तिरुवनंतपुरम के पक्ष में 30,000 रुपये का डीडी/बैंक गारंटी/एनईएफटी ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।	
3.	कीमतों	संविदा की सम्पूर्ण अवधि तक स्थिर रहेगा।	
4.	समापन अवधि	कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 10 वें दिन तक 45 दिन ।	
5.	कार्य पूरा होने में देरी के लिए निश्चित क्षतिपूर्ति	प्रति सप्ताह कार्य के वास्तविक मूल्य का 0.25%, जो वास्तविक मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन है।	
6	वारंटी और एएमसी अवधि के दौरान जुर्माना	निविदा में दिए गए नियम व शर्तों के अनुसार।	
7	सभी समावेशी वारंटी/गारंटी अवधि	आभासी समापन की तिथि के एक वर्ष बाद।	
8	अदायगी की शर्तें	नियम एवं शर्तों के अनुसार	
9	बीमा	इसमें शामिल होंगे <ol style="list-style-type: none"> भंडारण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग आदि सहित निर्माण समस्त जोखिम नीति। कामगार मुआवजा नीति और नियम और शर्तों के अनुसार तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी 	
10	कारखाने में प्रेषण-पूर्व निरीक्षण और परीक्षण	उपकरणों की परीक्षण सुविधा प्रेषण से पहले कारखाने में उपलब्ध कराई जाएगी और संतोषजनक परिणामों के लिए बैंक के इंजीनियर की उपस्थिति में परीक्षण किया जाएगा। सामग्री की गुणवत्ता और कारखाने में सफल प्रदर्शन के निरीक्षण के बाद प्रेषण की मंजूरी दी जाएगी। उपरोक्त के अलावा, उपकरणों को अंतिम स्वीकृति से पहले निर्दिष्ट समय तक चलाने के बाद कार्यस्थल पर वायु गुणवत्ता परीक्षण भी किए जाएँगे।	

ठेकेदार का हस्ताक्षर _____

फर्म का नाम _____

फर्म की मुहर _____

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम्

मात्रा की अनुसूची

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा

सीनि यर नहीं।	विवरण	मात्रा
1.	<p>आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशन कांकेंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली साथ 1 नग एकत्र करनेवालान्यूनतम 6000 CMH वायु प्रवाह के लिए उपयुक्त आउटलेट क्षमता दबा हुआ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल तार जाल, प्री फिल्टर, पोस्ट फिल्टर, प्रवाह नियंत्रण वाल्व/डैम्पर्स आउटलेट, एचटी पावर पैक, सुरक्षा फॉल्ट ट्रिप सर्किटरी के लिए, न्यूनतम 2 पोल, 5 एचपी, 3 फेज मोटर का केन्द्रापसारक ब्लोअर स्टार्टर के साथ, पंखे के आउटलेट के लिए साइलेंसर के साथ ब्लोअर मोटर्स, पूरा जैसा प्रति साइट स्थिति जैसा निर्देशित किया गया।</p> <p>सिस्टम स्थानीय और रिमोट-कंट्रोल पैनल के साथ होना चाहिए, नेतृत्व किया संकेत लैंप साथ पर और बंद स्विच और रिमोट पैनल के लिए आवश्यक केबलिंग। प्रणाली करेगा होना बनाया का 16एसडब्ल्यूजी सीआरसीए चादर आईपी 68 सुरक्षा के साथ बैंक के अनुमोदित शेड आदि के साथ विधिवत पाउडर कोटेड साइट हालत और जैसा निर्देशित।</p> <p>काम शामिल आपूर्ति और फिक्सिंग का उपयुक्त एमएस साइट की आवश्यकता के अनुसार कोण/कंपन-रोधी माउंट साइट की स्थिति के अनुसार ब्लोअर/मोटर यूनिट आदि लगाना और जैसा निर्देशित किया गया।</p> <p>कृपया दर बताएँ शामिल जीएसटी, परिवहन, श्रम आदि।</p>	1 काम
2.	<p>आपूर्ति और की स्थापना अगले:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) आवश्यक मात्रा का 200 मिमी डीआइए पीवीसी ducting या उपयुक्त आकार साथ आवश्यक संख्या का कोहनी, टी-जोड़, अंत टोपियां, जाल, कॉलर, मोड़, साइट के अनुसार इनलेट के लिए पीवीसी फ्लेक्सी नली क्लैंप जोड़ आदि आवश्यकता के अनुसार और कार्य के निष्पादन के समय प्रति साइट हालत और जैसा निर्देशित। b) सीवीपीएस कक्ष में वापसी हवा के लिए साइलेंसर आउटलेट, पीवीसी फ्लेक्सी नली 200 मिमी, कोहनी, पीवीसी कठोर पाइप, एमएस अंत पाइप, पीवीसी "टी" संयुक्त आदि के लिए एमएस 2-वे एडॉप्टर की आवश्यक मात्रा। c) साइट की स्थिति और निर्देशानुसार, सिंथेटिक कपड़े के टेलिस्कोपिक डैम्पर फ्लेक्सी होज़, घर्षण पैड, दीवार पर लगाने वाले ब्रैकेट और घूमने वाले फिक्सचर के साथ-साथ पाउडर कोटेड एमएस ग्राउट/फ्लोर माउंटेड टाइप फिक्सचर सहित स्व-संतुलित एक्सट्रैक्टर आर्म की आपूर्ति और फिक्सिंग। - 04 नग (चार सीवीपीएस मशीनें) 	1 काम

	<p>d) कार्य में 200 मिमी की आवश्यक मात्रा में पीवीसी लचीली नली, सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के नलिकाओं को जोड़ने के लिए 200 मिमी पीवीसी कठोर डक्टिंग और साइट की स्थिति और निर्देशानुसार उच्च क्षमता के रिटर्न डक्ट भी शामिल हैं।</p> <p>e) अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले फिल्टरों के अतिरिक्त सेट की आपूर्ति:</p> <p>इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल - 4 संख्या</p> <p>वायर मेष प्री-फिल्टर - 8 नग।</p> <p>वायर मेष पोस्ट फिल्टर - 4 नग।</p> <p>फिल्टर की मात्रा साइट की स्थिति और निर्देशानुसार पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए। कृपया जीएसटी, परिवहन, श्रम आदि सहित दरें उद्धृत करें।</p>	
	जीएसटी सहित कुल (ए)	
3	<p>सभी समावेशी विस्तृत रखरखाव प्रति वर्ष सहित लागत का उपभोग्य आवश्यक के लिए संपूर्ण वर्ष और लागत का सभी कलपुर्जे के लिए रखरखाव उपरोक्त उपकरण की गारंटी/दोष के एक वर्ष बाद लागू देयता अवधि जैसा प्रति शर्तें और शर्तें उल्लिखित में भाग में का नाजुक।</p> <p>फिल्टरों की मासिक सफाई की जाएगी और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा। कृपया जीएसटी, परिवहन, श्रम आदि सहित दरें उद्धृत करें - (बी)</p>	1 नौकरी (प्रति वर्ष दर)

स्थान:

(ठेकेदार का हस्ताक्षर)

तारीख:

ठेकेदार का नाम और पता

अनुबंध 'ए'

किए गए योग्य कार्यों का विवरण

(केंद्रीकृत धूल नियंत्रक कार्य (क्षमता 6,000 सीएमएच और उससे अधिक) पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरा किया गया, प्रत्येक न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करता है)

सान यर नहीं।	विवरण	ग्राहक (1)	ग्राहक (2)	ग्राहक (3)
1	नाम का सगठन कहा केंद्रीकृत धूल नियंत्रक नेग्या इंस्टॉल किया और पता।			
2	नाम और संपर्क नंबर/ईमेल पता का में शुल्क का ऊपर काम			
3	ए विवरण का काम			
	बी बनाना और नमूना (अधिमानतः उसी का उल्लेख करें जैसा कि प्रस्तावित है, मेक और मॉडल किनारा)			
	सा क्षमता का केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली			
4	क्या कार्य किया गया थायदि हाँ, तो आर्किटेक्ट/सलाहकार के अधीन विवरण।			

(निजी कंपनियों के मामले में टीडीएस प्रमाणपत्र संलग्न करें)

तारीख

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर:

अनुबंध बी

ग्राहक का प्रमाणपत्र, ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में

ग्राहक का नाम एवं पता:

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1	कार्य का नाम संक्षिप्त विवरण सहित	
2	संविदा संख्या और दिनांक	
3	करार की राशि	
4	कार्य शुरू करने की तारीख	
5	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
6	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
7	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि बताएं) यदि कोई हो	
8	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की कुल राशि	
9	उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया था?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (प्रेडिंग दर्शाएं)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
12	i) क्या ठेकेदार ने मध्यस्थता का सहारा लिया?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	
	iii) कुल प्रदान की गई राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ।	
	क) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ग) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना	उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	घ) जनशक्ति का जुटाव	उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	उल्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषजनक/खराब

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध - 'सी'

बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

केयर: निविदा के भाग-I के साथ अपलोड किया जाना है

1. फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/ निजी लिमिटेड/ स्वामित्व/ सार्वजनिक लिमिटेड):

2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम।

3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए फर्म का टर्नओवर (वर्षवार)।

2024-25:

2023-24:

2022-23:

4. फर्म द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।

5. लेन-देन

6. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:

7. कोई अन्य टिप्पणी?

कृपया अपनी राय भी भेजें कि क्या उपरोक्त फर्म को वित्तीय रूप से सक्षम माना जाता है, ताकि उसे अनुमानित लागत रु.____ लाख के कार्यों का ठेका सौंपा जा सके।

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

टिप्पणी:

बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए तथा सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, तिरुवनंतपुरम को संबोधित होना चाहिए।

साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक में दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध - 'डी'

सेवा सेटअप का विवरण

क्र.सं.	सेवा केंद्र का विवरण	
1	सेवा केंद्र का पता	
2	संपर्क नंबर	
3	कर्मचारियों की संख्या	
4	क्या धूल संग्राहक प्रणाली के अतिरिक्त पुर्जे स्टॉक में रखे गए हैं	

मुहर कंपनी और हस्ताक्षर

अनुबंध 'ई'

तकनीकी विचलन न करने का वचन

हम पुष्टि करते हैं कि बैंक की सभी तकनीकी शर्तें और विनिर्देश स्वीकार्य हैं।
निविदा में कोई विचलन प्रस्तावित नहीं है।

निविदाकर्ता की

मुहर एवं हस्ताक्षर दिनांकः

अनुबंध 'एफ'

बैंकरों का विवरण

हमारे बैंकरों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में अपलोड किया गया है।

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा और उसका पूरा पता	संपर्क व्यक्ति का नाम	टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल आईडी
1	2	3	4	5

मुहर कंपनी के हस्ताक्षर

नाम

पद का नाम

तारीख

अनुबंध 'जी'

आवेदन/प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

यहाँ उपस्थित सभी की जानकारी से, हम (बोली लगाने वाले का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्री / सुश्री का गठन, नियुक्ति और प्राधिकृत करते हैं।
..... (नाम और

मुख्तारनामा धारक का आवासीय पता) जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत है और हमारे अटॉर्नी के रूप में का पद धारण कर रहा है, हमारे नाम पर और हमारी ओर से, ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिए जो बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए हमारी निविदा के संबंध में या उससे संबंधित हैं, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और जमा करना और आरबीआई तिरुवनंतपुरम के समक्ष सभी मामलों में आरबीआई तिरुवनंतपुरम के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए संपदा विभाग आरबीआई, तिरुवनंतपुरम को जानकारी / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई तिरुवनंतपुरम के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्वारा हमारे उक्त वकील द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, कर्मों और चीजों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं

इस मुख्तारनामा के अनुसार, हमारे पूर्वोक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, कर्म और चीजें हमेशा हमारे द्वारा की गई मानी जाएंगी।

टिप्पणी

मुख्तारनामा पर उचित मुहर और नोटरीकरण होना चाहिए
प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोली लगाने वाले की मुहर/मोहर

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया गया है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार को सत्यापित किया जाएगा।)

अनुबंध 'एच'

बयाना राशि जमा के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)।

यह गारंटी विलेख आज _____ दो हजार _____ को _____ (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) में है और इसका एक स्थानीय कार्यालय _____ (जिसे इसके बाद जमानतदार कहा जाएगा) और भारतीय रिज़व बैंक, जो भारतीय रिज़व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित एक निगम है, जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई-400 001 भारत में है (जिसे इसके बाद बैंक कहा जाएगा) के बीच किया गया।

जबकि _____ निविदाकर्ता का नाम इसके बाद 'निविदाकर्ता' के रूप में संदर्भित) एक कंपनी जो _____ के तहत पंजीकृत है और जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा और उसमें संलग्न विनिर्देशों और नियमों और शर्तों के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक के पास ₹ _____ (केवल _____ रुपये) जमा करने के लिए बाध्य है।

जबकि निविदाकर्ता ने निविदाकर्ताओं के लिए अनुदेशों के खंड IV और विशेष शर्तों के अनुसार नकद बयाना राशि जमा करने के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब इसके साक्ष्य में :

1 यह कि निविदाकर्ता द्वारा बैंक को दी गई उपरोक्त निविदा के प्रतिफल स्वरूप जमानतदार, गारंटी के इस विलेख के प्रस्तुतीकरण पर बैंक से मांग प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बैंक को बिना किसी आपत्ति के उक्त राशि _____ (केवल _____ रुपये) का भुगतान करने की गारंटी देता है, जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है।

2 यह गारंटी निविदाकर्ता की ओर से किसी भी प्रकार की दुर्बलता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या जमानतदार के विघटन या संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

3. बैंक इस गारंटी के अंतर्गत कोई भी दावा करने के लिए पात्र होगा यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा प्रस्तुत करने के बाद, अपने प्रस्ताव को रद्द कर देता है या उसके नियमों व शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं हैं या बैंक द्वारा तिरुवनंतपुरम स्थित बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग हेतु निविदा हेतु निविदाकर्ता को आदेश देने का निर्णय लेने के बाद, आदेश स्वीकार करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. जमानतदार इस गारंटी को बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना इसकी अवधि के दौरान रद्द नहीं कर सकता है।

5 पूर्वोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, गारंटी के तहत जमानतदार की देयता INR _____ (INR _____ केवल) तक सीमित है।

6 यह गारंटी _____ तक लागू और प्रभावी रहेगी और बैंक द्वारा जमानतदार को इसकी सूचना दिए जाने पर यह समाप्त हो जाएगी और अप्रभावी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में यह गारंटी समाप्त हो जाएगी।

7. ज़मानतदार, बैंक द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा, भले ही निविदाकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो।

8 उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा कोई रियायत दर्शाने से किसी भी तरह से ज़मानतदार को उन्मुक्त नहीं किया जाएगा और इस गारंटी के तहत ज़मानतदार के दायित्वों को केवल बैंक द्वारा ज़मानतदार को दी गई सूचना पर ही उन्मुक्त किया जाएगा।

9 इसमें ऊपर दी गई किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा लिखित रूप में ज़मानतदार पर _____ को या उससे पहले नहीं किया जाता है, उसके बाद ज़मानतदार को गारंटी के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

10 ज़मानतदार को अपने ज्ञापन और संघ के शर्तों के तहत यह गारंटी जारी करने का अधिकार है और जो व्यक्ति इस विलेख को निष्पादित कर रहा है, उसके पास ज़मानतदार द्वारा उसे दी गई मुख्तारनामा के तहत ऐसा करने की आवश्यक शक्तियां हैं।

हेतु और की ओर से हस्ताक्षरित और वितरित और उक्त बैंक की ओर से । (बैंकर का नाम और मुहर)

बैंक प्रबंधक (बैंकर की मुहर)

अनुबंध ।।

सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)
नहीं। _____ तारीख _____

को:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम् - 500 004

प्रिय महोदय,

मेसर्स _____ (इसके बाद "ठेकेदार" के रूप में संदर्भित) द्वारा आपको प्रदान की जाने वाली ₹ _____ (रुपये केवल) की सुरक्षा जमा को स्वीकार करने के लिए सहमत होने के विचार में उनके निविदा दिनांक _____ और आपके संविदा की विशेष शर्तें और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार, आपके संविदा दिनांक _____ में निर्धारित या संदर्भित शर्तें और परिवर्तनों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने के अधीन, हमारे द्वारा गारंटी के रूप में, जैसा कि इसके बाद निहित है, हम _____ (बैंक का नाम) इसके द्वारा आपके साथ निम्नानुसार अनुबंध और सहमति करते हैं:

1. हम आपको क्षतिपूर्ति करने और समय-समय पर ₹ _____ (_____ रुपये केवल) की सीमा तक क्षतिपूर्ति प्रदान करने का वचन देते हैं, जो कि ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा में निहित किसी भी नियम और शर्तों के किसी भी उल्लंघन के कारण आपको हुई या सहन की गई किसी भी हानि या क्षति के लिए है और यदि ठेकेदार उक्त संविदा के तहत किसी भी कार्य को करने में या अन्यथा उसके वास्तविक उद्देश्य और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित किसी भी नियम और शर्तों के पालन और प्रदर्शन में कोई चूक करता है, तो हम मांगे जाने पर आपको ऐसी राशि या राशियों का भुगतान करेंगे जो कुल मिलाकर ₹ _____ (_____ रुपये केवल) की उक्त राशि से अधिक नहीं होगी, जैसा कि आप ठेकेदार की ओर से ऐसी चूक के कारण अपने नुकसान और/या क्षति, लागत, शुल्क या व्यय के रूप में दावा कर सकते हैं।
2. इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, आपका यह निर्णय कि क्या ठेकेदार ने कोई चूक या चूक की है और उसके कारण आप जिस राशि या राशियों के हकदार हैं, वह हमारे लिए बाध्यकारी होगा और हम आपसे इस गारंटी के तहत आपके दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान करेंगे।
3. यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और प्रभावी रहेगी जब तक कि उक्त संविदा की सापेक्ष गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर आपके द्वारा इसे जारी नहीं कर दिया जाता है और ठेकेदार द्वारा उक्त संविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उक्त अनुबंध के तहत

कार्य के विधिवत समापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने के बाद, हमेशा यह शर्त रखी जाती है कि यह गारंटी किसी भी स्थिति में _____ के दिन के बाद प्रभावी नहीं रहेगी, बिना आपके दावे या दावों के पूर्वाग्रह के, जो उक्त तिथि से छह महीने की समाप्ति से पहले उत्पन्न हुए और मांगे गए या अन्यथा हमें लिखित रूप में अधिसूचित किए गए हैं, जो हमारे खिलाफ लागू होंगे, भले ही वह उक्त तिथि के बाद लागू हो या लागू किए जा रहे हों।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी को बढ़ाना आवश्यक हो, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आपकी आवश्यकतानुसार बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हमारे लिए बाध्यकारी होगा।
5. इस गारंटी को लागू किए बिना आपको समय-समय पर उक्त संविदा के किसी भी नियम व शर्त में परिवर्तन करने या ठेकेदार के निष्पादन की अवधि बढ़ाने या ठेकेदार के विरुद्ध अपने किसी भी अधिकार या शक्ति को किसी भी समय या समय-समय पर स्थगित करने और उक्त संविदा के किसी भी नियम व शर्त को लागू करने या लागू करने से परहेज करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और हम पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता के प्रयोग से या ठेकेदार को दिए गए किसी भी समय या आपकी ओर से किसी अन्य परहेज, कार्य या चूक या आपके द्वारा ठेकेदार के प्रति किसी रियायत या उक्त संविदा में किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन या किसी अन्य कार्य, मामले या चीजों के कारण इस गारंटी के तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे, जो कि जमानत से संबंधित कानून के तहत, लेकिन इसके प्रावधानों के लिए हमें इसके तहत अपने दायित्व से मुक्त करने का प्रभाव रखते हैं, बशर्ते कि इसमें निहित कोई भी बात पूर्वोक्त रूप में ₹ _____ (_____ रुपये मात्र) की सीमा से परे हमारे दायित्व को नहीं बढ़ाएगी।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से आपके द्वारा ठेकेदार या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से कोई प्रतिभूति लेने, उसमें परिवर्तन करने या उसे त्यागने या ठेकेदार के समापन, विघटन, दिवालियापन या मृत्यु, जैसी भी स्थिति हो, से प्रभावित नहीं होगी।
7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए, आप इस प्रकार कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम पूर्वोक्त रूप से हमारे द्वारा गारंटीकृत ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार हों और हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अपने सभी ज़मानत के अधिकारों और अन्य अधिकारों, यदि कोई हो, का त्याग करते हैं, जो किसी भी तरह से इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ असंगत हैं।
8. उपर्युक्त हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी समय-समय पर ठेकेदार के विरुद्ध आपके सभी दावों को कवर करेगी जो उक्त संविदा से या उसके संबंध में उत्पन्न होते हैं और जिनके

संबंध में आपका लिखित दावा इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले हमारे पास दर्ज किया गया है।

9. मांग के रूप में या अन्यथा कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे पूर्वोक्त स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तो उसे पोस्ट किए जाने पर दिया गया माना जाएगा।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको पहले दी गई किसी अन्य गारंटी या गारंटियों (चाहे संयुक्त रूप से या अकेले) के अतिरिक्त हैं और अब निरस्त नहीं की गई हैं और इस गारंटी का उद्देश्य ऐसी गारंटी या गारंटियों को रद्द करना या सीमित करना नहीं है और न ही ऐसा किया जाएगा।
11. यह गारंटी ठेकेदार या हमारे संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपके संविधान में किसी भी परिवर्तन या उसके किसी समामेलन या अवशोषण से प्रभावित होगी, बल्कि अवशोषित या समामेलित कंपनी या प्रतिष्ठान के लाभ के लिए सुनिश्चित होगी और उसके लिए उपलब्ध और लागू करने योग्य होगी।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई सहनशीलता, कार्य या चूक या निविदाकर्ता के प्रति बैंक द्वारा कोई रियायत दर्शने से किसी भी तरह से जमानतदार को मुक्ति नहीं मिलेगी और इस गारंटी के तहत जमानतदार के दायित्वों को केवल बैंक द्वारा जमानतदार को दी गई सूचना पर ही मुक्ति मिलेगी।
13. यह गारंटी अपनी अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय है और आपकी पूर्व लिखित सहमति के बिना इसे रद्द नहीं किया जाएगा।
14. हम आगे सहमत हैं और वचनबद्ध हैं कि आपके और ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद या विवाद के बावजूद, आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान बिना किसी आपत्ति के करेंगे।
15. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, इस गारंटी के अंतर्गत हमारा दायित्व _____ रुपये (केवल _____ रुपये) तक सीमित है। जब तक इस गारंटी की समाप्ति तिथि से छह महीने के भीतर, (यदि कोई विस्तार हो तो उसमें भी) इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए हम पर लिखित दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब तक गारंटी के अंतर्गत आपके सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएँगे और हमें उसके अंतर्गत सभी दायित्वों से मुक्त और उन्मुक्त माना जाएगा, चाहे मूल गारंटी हमें वापस मिले या नहीं।
16. हमारे पास हमारे बैंक के ज्ञापन और संघ के शर्तों के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति

है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास बैंक द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।

के लिए और की ओर से हस्ताक्षरित और वितरित

(उपर्युक्त बैंक के लिए एवं उसकी ओर से) (बैंकर का नाम एवं मुहर)

अनुबंध 'जे '

ईसीएस/एनईएफटी अधिदेश फॉर्म

(आरबीआई, तिरुवनंतपुरम से ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने का अधिदेश)

सभी प्रविष्टियाँ साफ-सुथरे और स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में भरी जानी चाहिए

विक्रेता का विवरण

1	विक्रेता का नाम										
2	विक्रेता का पता										
3	विक्रेता की ईमेल आईडी										
4	फोन नंबर										
5	मोबाइल नंबर	0									
6	संपर्क व्यक्ति										

पैन और जीएसटीआईएन विवरण

पैन		पैन कार्ड धारक का नाम	
जीएसटीआईएन नं.			

विक्रेता के बैंक खाते का विवरण

1	बैंक का नाम										
2	शाखा का नाम										
3	बैंक शाखा का पता										
4	आईएफएस कोड (11 अंक)										
5	एमआईसीआर कोड (9 अंक)										
6	बैंक खाता प्रकार (एसबी-10/ सीए-11/ सीसी-13)										
7	कोर बैंकिंग खाता संख्या										

कृपया ऊपर उल्लिखित विवरण के समर्थन में नीचे दिए गए दस्तावेज़ संलग्न करें

- (1) एक खाली रद्द सीटीएस-चेक
- (2) आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी
- (3) जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या गलत जानकारी के कारण लेन-देन में देरी होती है या लेन-देन पूरा नहीं होता है, तो मैं भारतीय रिज़र्व बैंक को इसके लिए उत्तरदायी नहीं मानूँगा/मानूँगी।

दिनांक _____

विक्रेता/खाताधारक के हस्ताक्षर

स्थान _____

विक्रेता सामान्य मुहर

संचार के लिए संपदा विभाग का मेल आईडी: estatethiro@rbi.org.in

अनुबंध 'के'

शिकायत को आगे बढ़ाने का ढाचा

क्रम संख्या	समर्थन स्तर	नाम	फोन नंबर	ईमेल आईडी
1	स्तर 1			
2	लेवल 2			
3	स्तर 3			
4	स्तर 4			

फर्म का हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध 'एल'

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा
वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र के लिए प्रोफार्मा

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

तिरुवनंतपुरम

महोदय,

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा बोली में भाग लेने के लिए मेसर्स _____ का वचन पत्र

मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ने दिनांक 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी और उसके बाद सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों/संशोधनों की विषय-वस्तु को पढ़ और समझ लिया है, जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में है।

2. उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित परिभाषाओं और बोलीदाता के संबंध में इसके बाद के संशोधनों के आधार पर, मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश से हो, जहां भारत सरकार ने ऋण की सुविधा प्रदान की हो, या
- iv. यह भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है, जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है।

(उपर्युक्त में से जो लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और उसके बाद के आदेशों/संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वचन देता/देते हूँ/देते हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश के किसी ठेकेदार को तब तक कोई कार्य उप-ठेके पर नहीं ढूँगा/ढूँगी जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के अंतर्गत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता/करती।

4. मैं यह समझ गया/गई हूँ कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी

कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि/निष्पादन बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें रोकना शामिल है।

फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

अनुबंध 'एम'

निविदाकर्ता द्वारा रखरखाव की पुष्टि के लिए वचनबद्धता

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
तिरुवनंतपुरम

प्रिय महोदय

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा

हम एतद्वारा आपके परिसर में हमारे द्वारा स्थापित उपरोक्त प्रणाली को प्रणाली सौंपने की तिथि से कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक संतोषजनक ढंग से बनाए रखने का वचन देते हैं।

मूल उपकरण निर्माता मेसर्स _____ द्वारा तकनीकी अप्रचलन या किसी अन्य कारण से पुर्जों आदि के संदर्भ में सहायता प्रदान करने में असफल रहने की अप्रत्याशित स्थिति में, हम उपरोक्त स्वीकृत अवधि के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए हमारे द्वारा उद्धृत दर के भीतर, आवश्यक पुर्जों आदि की स्वयं व्यवस्था करके आपकी संतुष्टि के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

भवदीय,

हेतु _____

मुहर और
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की
आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा

भाग 2/ भाग- II

मूल्य बोली

आरबीआई / तिरुवनंतपुरम / एस्टेट /13/ 25-26 / ईटी /377

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
तिरुवनंतपुरम

**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, तिरुवनंतपुरम में सीवीपीएस के लिए केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली की
आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए निविदा**

मात्रा का बिल

क्रम सं.	विवरण	मात्रा	दर (जीएसटी सहित)	राशि (जीएसटी सहित)
1.	<p>आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का केंद्रीकृत धूल नियंत्रक प्रणाली साथ 1 नग एकत्र करनेवालान्यूनतम 6000 CMH वायु प्रवाह के लिए उपयुक्त आउटलेट क्षमता दबा हुआ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल तार जाल, प्री फिल्टर, पोस्ट फिल्टर, प्रवाह नियंत्रण वाल्व/डैम्प्स आउटलेट, एचटी पावर पैक, सुरक्षा फॉल्ट ट्रिप सर्किटरी के लिए, न्यूनतम 2 पोल, 5 एचपी, 3 फेज मोटर का केन्द्रापसारक ब्लोअर स्टार्टर के साथ, पंखे के आउटलेट के लिए साइलेंसर के साथ ब्लोअर मोटर्स, पूरा जैसा प्रति साइट स्थिति जैसा निर्देशित किया गया। सिस्टम स्थानीय और रिमोट-कंट्रोल पैनल के साथ होना चाहिए, नेतृत्व किया संकेत लैंप साथ पर और बंद स्विच और रिमोट पैनल के लिए आवश्यक केबलिंग। प्रणाली करेगा होना बनाया का IP 68 सुरक्षा के साथ 16SWG CRCA शीट विधिवत बैंक के अनुमोदित शेड आदि के साथ पाउडर लेपित, के अनुसार साइट हालत और जैसा निर्देशित।</p> <p>काम शामिल आपूर्ति और फिक्सिंग का उपयुक्त एमएस साइट की आवश्यकता के अनुसार कोण/कंपन-रोधी माउंट साइट की स्थिति के अनुसार ब्लोअर/मोटर यूनिट आदि लगाना और जैसा निर्देशित किया गया।</p> <p>कृपया दर बताएँ शामिल जीएसटी, परिवहन, श्रम वगैरह।</p>	1 काम	(केवल ऑनलाइन मोड में उद्धृत किया जाना है)	(उद्धरण न किया जाए। सिस्टम स्वचालित रूप से गणना करेगा)
2.	<p>आपूर्ति और की स्थापना अगले:</p> <p>a) आवश्यक मात्रा का 200 मिमी डीआइए पीवीसी ducting या उपयुक्त आकार साथ आवश्यक संख्या का कोहनी, टी-जोड़, अंत टोपियां, जाल, कॉलर, मोड़, साइट के अनुसार इनलेट के लिए पीवीसी फ्लेक्सी नली क्लौप जोड़ आदि आवश्यकता के अनुसार और कार्य के निष्पादन के समय प्रति साइट हालत और जैसा निर्देशित।</p> <p>b) सीवीपीएस कक्ष में वापसी हवा के लिए साइलेंसर आउटलेट, पीवीसी फ्लेक्सी नली 200 मिमी, कोहनी,</p>	1 काम	(केवल ऑनलाइन मोड में उद्धृत किया जाना है)	(उद्धरण न किया जाए। सिस्टम स्वचालित रूप से गणना करेगा)

	<p>पीवीसी कठोर पाइप, एमएस अंत पाइप, पीवीसी "टी" संयुक्त आदि के लिए एमएस 2-वे एडॉर्टर की आवश्यक मात्रा।</p> <p>c) , सिंथेटिक कपड़े के टेलिस्कोपिक डैम्पर फ्लेक्सी होज़, घर्षण पैड, दीवार पर लगाने वाले ब्रैकेट और घूमने वाले फिक्सचर के साथ-साथ पाउडर कोटेड एमएस ग्राउट/फ्लोर माउंटेड टाइप फिक्सचर सहित स्व-संतुलित एक्सटैक्टर आर्म की आपूर्ति और फिक्सिंग। - 04 नग (चार सीवीपीएस मशीनें)</p> <p>d) कार्य में 200 मिमी की आवश्यक मात्रा में पीवीसी लचीली नली, सिस्टम के इनपुट और आउटपुट के नलिकाओं को जोड़ने के लिए 200 मिमी पीवीसी कठोर डकिंग और साइट की स्थिति और निर्देशानुसार उच्च क्षमता के रिटर्न डक्ट भी शामिल हैं।</p> <p>e) अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में उपयोग किए जाने वाले फिल्टरों के अतिरिक्त सेट की आपूर्ति:</p> <p>इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉड्यूल - 4 संख्या</p> <p>वायर मेष प्री-फिल्टर - 8 नग।</p> <p>वायर मेष पोस्ट फिल्टर - 4 नग।</p> <p>फिल्टर की मात्रा साइट की स्थिति और निर्देशानुसार पर्याप्त संख्या में होनी चाहिए।</p> <p>कृपया जीएसटी, परिवहन, श्रम आदि सहित दरें उद्धृत करें।</p>		
	जीएसटी सहित कुल (ए)		(उद्धरण न किया जाए। सिस्टम स्वचालित रूप से गणना करेगा)
3	<p>सभी समावेशी विस्तृत रखरखाव प्रति वर्ष सहित लागत का उपभोग्य आवश्यक के लिए</p> <p>पूरा वर्ष और लागत का सभी कलपुर्जे के लिए रखरखाव का उपरोक्त उपकरण एक वर्ष की गारंटी/दोष के बाद लागू देयता अवधि जैसा प्रति शर्ते और स्थितियाँ उल्लिखित में भाग मैं का निविदा। फिल्टरों की मासिक सफाई की जाएगी और उपयोगकर्ता विभाग द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाएगा।</p> <p>कृपया जीएसटी, परिवहन, श्रम आदि सहित दरें उद्धृत करें - (बी)</p>	1 नौकरी (प्रति वर्ष दर)	(उद्धरण नहीं दिया जाएगा। मोड में उद्धृत सिस्टम स्वचालित किया जाएगा) रूप से गणना करेगा)

सिस्टम की शुद्ध स्वामित्व लागत = पूंजीगत लागत (ए) + (एएमसी शुल्क (बी) x एमएफ)